उन्नति
विचार
वर्ष : 11 अंक : 3 जुलाई-सितम्बर, 2006

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार
- गुजरात २००२: पुनर्शांति, जीवन निर्वाह और मेल-मिलाप 2

नज़रिया
- साम्प्रदायिक हिंसा (प्रतिरोध) विधेयक, २००५ 9

अपनी बात
- ऊर्जा घर : शांति और सौहार्द्र कायम करने का प्रयोग 13
- जन सुनवाई द्वारा सामाजिक अन्वेषण 16

गतिविधियाँ एवं भावी कार्यक्रम 23

अपने बारे में 29

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25 रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

शांति बिना विकास?

विकास के लिए शांति और शांति के लिए न्याय पूर्वशर्त है - सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक न्याय। कोई भी राज्य अपने नागरिकों के विनाश पर विकास को नहीं बनाए रख सकता। गुजरात में हुए २००२ के जनसंहार को शीघ्र ही ५ वर्ष पूरे होंगे, परंतु पीड़ितों के घाव भरने का नामोनिशान नहीं है। २००२ की हिंसा के मुकाबले आज की स्थिति भी कम गंभीर नहीं है। रोज-ब-रोज अपनी धार्मिक पहचान के कारण इरादातन भेदभावपूर्ण व्यवहार का शिकार हो रहे हैं, और हाँसिये पर धकेले जा रहे हैं।

अहिंसा के नाम पर कदाचित हमारे यहां पीड़ित को बोलने ही नहीं दिया गया है। फिर वे चाहे महिलाएं हों, दलित हों, आदिवासी हों या अब अल्पसंख्यक हों। 'सब ठीक है' - 'गुजरात वाइब्रेंट है' जैसे भ्रम पैदा करने वाले प्रचार में हम न्याय चाहने वाली आवाजों को हिंसक रूप से दबा डालते हैं। हमारे यहां आघातजनक हद तक साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण हो गया है। इस निराशाजनक वातावरण में पुनर्शांति की बात आश्चर्यजनक लगती है। पुनर्शांति कौन चाहता है ? पुनर्शांति की जरूरत किसे लगती है ? कहां हैं पुनर्शांति के अन्य पक्षकार, जो इस जनसंहार के रचयिता हैं ? इस पूरी प्रक्रिया में राज्य की जिम्मेदारी क्या है ? पुनर्शांति और शांति स्थापना की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका अपराध करने वालों की है, पीड़ितों की नहीं। इस मुद्दे पर काम करने वाले हम सभी को इस प्रक्रिया को उसके विशेष संदर्भ के साथ आत्मसात् करने की जरूरत है। समाज में बदलाव नहीं आने का एक बड़ा कारण हमारी 'करनी' और 'कथनी' में बड़ा अंतर है। इस अंतर को कम किए बिना (अंतर शून्य होना एक आदर्श है) सामाजिक बदलाव संभव नहीं है।

कुछ के मतानुसार अब ५ वर्ष होने को आए, आगे बढ़ें। सच है, प्रत्येक को आगे बढ़ने की तमन्ना होती है, परंतु जो मानवसर्जित कांड के कारण लोग कम से कम २५ वर्ष पीछे धकेले जा चुके हैं, उन्हें न्याय दिलाए बिना ? विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के नागरिक के रूप में उनकी न्याय पाने की इच्छा गलत तो नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ कर जिन २००० मामलों को गुजरात पुलिस ने बंद कर दिया था उन्हें पुनः खोलने का आदेश दिया,और एक सुर सुनाई दिया। 'यह प्रक्रिया समाज में फिर अशांति पैदा करेगी !' न्याय प्राप्ति की बात करने पर अशांति फैलती है ? कितनी आघातजनक दलील है कि जब व्यक्ति के पास 'चुप' रहने के अलावा कोई विकल्प ही न हो, समर्पण कर देने के अलावा सांस नहीं ली जा सके और वह चुप रहे, तो उसे हम शांति कहने लग गए। न्याय बिना हम किस शांति की बात करते हैं !

कदाचित शांति अर्थात न्याय प्राप्ति का हक, न्याय प्राप्ति की इच्छा छोड़, कोई माफी न मांगे, तो भी सामने से माफी की बात करना और आतंक करने वालों की शर्तों के आगे घुटने टेक कर हंसते हुए

मुंह (चेहरा हंसता रखा जा सकता है, दिल भले रोता हो) से उनके साथ बैठना! (ऐसा तो नहीं है न?) इस दर्द पर अन्याय का कवच चढ़ा कर देखने वालों के लिए भ्रम पैदा करना:'यहां सब ठीकठाक है।' पीड़ितों के साथ हमदर्दी दर्शा कर तुम अशांति पैदा मत करो! कितना क्रूर मजाक है यह! आज के बदले हुए

शेष पृष्ठ 32 पर

गुजरात २००२ : पुनर्शांति, जीवन निर्वाह और मेल-मिलाप

ओक्सफाम द्वारा दि. १७, १८ जुलाई, २००६ के दौरान **'गुजरात २००२ : पुनर्शांति, जीवन निर्वाह और मेल-मिलाप'** के बारे में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। गुजरात में २००२ में हुई हिंसक घटनाओं के बाद **ओक्सफाम (इंडिया) ट्रस्ट** कई संगठनों में ऐसा संगठन था जिसने राहत और पुनर्वास कार्य किया था। उसने शांति स्थापित करने के कार्य में कुछ स्थानीय समूहों व सहभागी संगठनों के जरिए छलांग लगाई थी। अशांति के पीड़ितों व अशांति पैदा करने वाले तत्वों के बीच शांति पुनः स्थापित हो और पीड़ितों के लिए मेल-मिलाप हो, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण व जटिल प्रश्न आज भी बना हुआ है। राज्य सरकार ने लगातार दावा किया है कि पीड़ितों का पुनर्वास पूर्णतया हो चुका है। यद्यपि ओक्सफाम के प्राथमिक निष्कर्ष कहते हैं कि ये दावे गलत हैं। वास्तव में, पीड़ितों का सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास तब महत्व का बना है कि जब ऐसी भावना प्रवर्त है कि गुजरात में सब ठीकठाक है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में उभरे महत्वपूर्ण मुद्दों व उनका विवरण यहां दिया गया है:

पुनर्शांति व न्याय : चुनौतियां और समस्याएं

पहले दिन आयोजित चर्चा की अध्यक्षता घनश्याम शाह ने की। वक्ताओं के रूप में हर्ष मंदर, राम पुनियानी, प्रसाद चाको, विश्वनाथन और सोफिया खान थे। सभी के द्वारा पेश किए गए मंतव्य निम्नानुसार हैं :

प्रो. घनश्याम शाह

हम सभी के सामूहिक प्रयास हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हैं। यद्यपि हम निराशा के गर्त में भी नहीं गए हैं। हम अब चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम जब पुनर्शांति की बात करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि पीड़ित २००२ से पूर्व की स्थिति में लौटें, परंतु जो स्थानीय स्तर पर काम कर रहे हैं वे अधिक बेहतर स्थिति का निर्माण करने के लिए नई रणनीतियां बनाना चाहते हैं। कुछ स्थानों पर २००२ के पूर्व की स्थिति का निर्माण हुआ भी है और वह भी राज्य के हस्तक्षेप के बगैर। अनेक गांवों में यद्यपि अभी भी पीड़ित अपने गांवों में लौटने से इनकार करते हैं। इन दोनों में से सीख प्राप्त करनी है और फिर उसी आधार पर रणनीति बनानी है।

श्री हर्ष मन्दर

पुनर्शांति अनिवार्य रूप से समानतावादी है। यह किसी को हक दिला कर या किसी का गौरव व आकांक्षाओं को शरण में रख कर पैदा नहीं हो सकती। न्याय व पश्चाताप दोनों पुनर्शांति की मजबूत और स्थायी प्रक्रिया के लिए जरूरी बातें हैं। पुनर्शांति में ऐसी स्थिति में लौटना चाहते हैं, जिसमें राज्य में हमें विश्वास हो, हम श्रद्धा व प्रेम से जी सकें।

गुजरात में दो समुदायों के बीच २००२ से पहले भी काफी समय पूर्व दरार पैदा हुई थी। भारत में समाज असमानताओं से भरपूर है और हमें उस पर शर्म आनी चाहिए। हम विविध समुदायों का प्राकृतिक सह-अस्तित्व और सामाजिक पुनर्शांति का निर्माण चाहते हैं। इसके लिए चार बातें महत्वपूर्ण हैं :

(१) सबसे पहले यह स्वीकारना है कि भयानक हत्याकांड हुआ है।

(२) उस पर पश्चाताप करना।

(३) किसी भी तरह से मुआवजा तो नहीं दिया जा सकता, परंतु हमें आर्थिक मुआवजा चुकाना चाहिए और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।

(४) फौजदारी न्याय पद्धति की अपनी कमजोरियां हैं। हालांकि प्रत्येक को सुरक्षा मिलनी चाहिए और प्रत्येक को सुरक्षा पाने का अधिकार है, क्योंकि न्यायतंत्र की आंखों में हम सभी नागरिक एक समान हैं।

इस संदर्भ में निम्न मुद्दों पर नजर डालें :

(१) आधे से ज्यादा पीड़ित काफी दयनीय हालत में जीते हैं और जो अपने घरों को लौटे हैं वे आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का शिकार बने हैं।

(२) समाधान के नाम पर न्यायतंत्र भी पीड़ितों को अदालत के बाहर समाधान करने के लिए प्रेरित करता है।

(३) दक्षिण अफ्रीका में और यहां की पुनर्शांति में फर्क है। वे ऐसा इस लिए कर सके क्योंकि वे राजनीतिक रूप से विजयी हुए थे।

यहां सवाल ये खड़े होते हैं :
(१) क्या न्याय के बगैर पुनर्शांति हो सकती है?

(२) कानूनी न्याय मूलभूत रूप से उचित प्रतिशोध है या फिर समान नागरिक अधिकार का पालन है?

(३) मैं तभी किसी को माफ कर सकता हूं कि जब मुझे माफी नहीं देने का भी अधिकार हो। क्या यह समानता की बात नहीं है?

श्री राम पुनियानी
सामाजिक आंदोलन : भावी कार्य

(१) गोधरा और गुजरात की घटनाओं के बाद चुनावी हार की घटनाएं भाजपा के लिए बदल गईं। लोगों के दिमागी ख्याल व चुनाव में जनमानस की चेतना की भूमिका हम सभी देख सकते हैं। इतिहास व अन्य समुदाय के स्वभाव आदि जैसी बातों के बारे में जो झूठा प्रचार किया जाता है उसने सामाजिक विचारधारा पर पकड़ जमा ली थी। गुजरात इस बात का निर्देशन करता है कि हिंसा की प्रत्येक नई घटना इस सामाजिक चेतना को सघन बनाती है और ऐसा कहा जा सकता है कि इस तरह पैदा की गई जनचेतना एक ऐसी बुनियाद खड़ी करती है जिसके आधार पर साम्प्रदायिक राजनीति चलती है। इस अर्थ में, हिन्दुत्व ने समाज के विशाल वर्ग के जनमानस पर वर्चस्व जमाया है। सौहार्द्र में विक्षेप करना और हिंसा की प्रत्येक नई घटना को पवित्र बनाना, उससे साम्प्रदायिक ताकतों को ऐसा आत्मविश्वास पैदा होता है कि चुनावी मुद्दे के रूप में वे इस बात का उपयोग कर सकेंगे।

(२) वह समाज में व्याप्त हो रहे सम्प्रदायवाद के पीछे छिपता है। संघ परिवार में मुंह, मीडिया व सामाजिक हस्तक्षेप से यह होता है। अल्पसंख्यक-विरोधी भावनाएं आतंककारियों के हरेक कृत्य से मजबूत बनती जाती हैं। सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओं का ह्रास काफी तेजी से हो रहा है।

(३) मानवाधिकारों के लिए सामाजिक आंदोलन हिन्दुत्व के आक्रमण के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है, परंतु वह लोकतांत्रिक बहुवादी मंच स्थापित करने की सानुकूल वैकल्पिक भूमिका वह तैयार कर सकता।

(४) गुजरात फिर एक बार यह दर्शाता है कि हिन्दू दक्षिणपंथियों ने राम मंदिर और साम्प्रदायिक हिंसा जैसे संवेदनशील मुद्दों को सत्ता प्राप्त करने के बुनियादी मुद्दे के रूप में विकसित करना सीख लिया है। परिणामतः, हिन्दुत्ववादी आंदोलन की गुजरात के बाद की रणनीति आक्रामक रूप से मोदीत्व का सहारा लेने वाली है। हिन्दुत्व का जंगली रूप है। इसने समाज के कमजोर वर्गों के प्रति तिरस्कार बढ़ाया गया है।

(५) अब हिन्दुत्व एक सम्पूर्ण तंत्र के रूप में काम करता है। आरएसएस के स्तर पर वैचारिक निर्माण होता है और भाजपा के मोहरे खुशी से चुनावी योद्धा बनते हैं। विश्व हिन्दू परिषद् ने तिरस्कार से भरपूर प्रवचनों में विशेषीकरण साध्य किया है, जबकि गलियों में हिंसा बजरंग दल का विशेषाधिकार है। समाज के वंचित वर्गों, बेरोजगार युवकों, सेवामुक्त किए गए कामगारों और दलितों तथा आदिवासियों में यह चेतना फैलाने के लिए यह तंत्र नियोजित किया गया है। संघ परिवार द्वारा पहचान की राजनीति खड़ी की गई और उससे अधिकारों व लोकतांत्रिक मूल्यों की राजनीति हाँसिये पर चली गई।

(६) सुस्थापित दल जवाब खोज रहे हैं। भाजपा ने जो गठबंधन की राजनीति शुरू की उसमें कई पार्टियां उसके वश में हो गईं। सबसे दुःखद उदाहरण एक तरफ जॉर्ज फर्नांडीस का है, तो दूसरी तरफ मायावती का है। जो लोकतंत्र व भारत का संविधान बचाना चाहते हैं उन्हें आज ही शुरूआत करने की जरूरत है, हमें दशकों की देरी हो चुकी है।

(७) लोकतांत्रिक मंच खड़ा करने का काम अनेक स्तर पर हो। सामाजिक आंदोलनों के कर्मशील आगामी लड़ाई की नींव है।

(क) सामाजिक आंदोलन की आकांक्षाएं कार्यक्रमों में समा गई हैं। प्रगतिशील ताकतें बिखरी हुई हैं। यह जरूरी है कि विभिन्न समूह वंचितों के प्रश्नों के लिए एक हों।

(ख) जिन बुनियादी समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है वे हैं आर्थिक अधिकारों, सामाजिक समानता व महिला-पुरुष अंतर को दूर करना है। जो मुद्दे हाथ पर लेने चाहिए उनमें दलित विरोधी, महिला-विरोधी और अल्पसंख्यक-विरोधी अत्याचारों से लेकर रोजगार के अधिकार तक की समस्याएं शामिल हैं। अन्य एक लड़ाई नागरिक व लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की है।

(ग) इनमें से अधिकांश वर्गों के लिए वैकल्पिक योजना में रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा आदि का समावेश होता है। समाज के कमजोर वर्गों का सामुदायिक और सामाजिक जीवन के साथ जुड़ाव जरूरी है।

(घ) सामाजिक चेतना के स्तर पर हिन्दुत्व के वर्चस्व को चुनौती को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों व शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों के साथ जोड़ना जरूरी है।

(८) गुजरात की घटनाओं का एक सकारात्मक परिणाम यह आया है कि एक ऐसा मंच खड़ा हुआ जो इन समस्याओं पर काम करता है। इन समूहों द्वारा जो प्रशंसनीय कार्य हो रहा है उसे मजबूत बनाने व उसमें समन्वय करने की जरूरत है।

धर्म निरपेक्षता के मूल्यों से सम्बंधित शिक्षा की जरूरत

(१) गुजरात की घटना ने समाज के साम्प्रदायीकरण को हमारे सामने उजागर किया। यह प्रक्रिया लोकमानस के निर्माण से शुरू होती है और फिर अन्यों के प्रति तिरस्कार में बदलती है और वह विविध साम्प्रदायिक कार्यों का आधार बनती है। इसका सीधा उदाहरण साम्प्रदायिक हिंसा है। सरकार की साम्प्रदायिक नीतियों को भी यह छिपी मान्यता देती है।

(२) पिछले आठ दशकों से आरएसएस जनमानस को इस तरह से तैयार करने का काम करता रहा है। उसकी शाखाएं व बुद्धिजीवी उसका धरातलीय स्वरूप हैं। वही समाज में व्यापक स्तर पर विष घोलते हैं। इस प्रक्रिया को इस प्रकार मदद मिलती है।

(क) भाजपा के सत्ता में आने पर विद्यालय की पुस्तकों में साम्प्रदायिक मोड़ दिया जाता हैं।

(ख) मीडिया की उसमें मजबूत भूमिका है। विशेषकर क्षेत्रीय भाषाओं के मीडिया इसमें यह भूमिका निभाते हैं। 'सामना' और 'गुजरात समाचार' इसके सबसे खराब उदाहरण हैं।

(ग) साम्प्रदायिक विचारधारा से अधिकांश सांस्कृतिक आकाश घिर जाता है।

(३) इन विपरीत परिबलों के बीच हमें काम करना है। अल्पसंख्यकों के बारे में कल्पनाएं व धारणाएं साम्प्रदायिक मानस की बुनियाद बनती हैं।

(४) बहुत छोटी उम्र में इन विचारों के बीज बोए जाते हैं और फिर वे मजबूत होते जाते हैं।

(५) शिक्षा के इस कार्य में इस बात को ध्यान में लेना चाहिए कि

मात्र चर्चाओं से सामाजिक चेतना नहीं बदलती।

(क) सामाजिक शिक्षा की प्रक्रिया एक बहुकोणीय प्रयास है। मीडिया में हस्तक्षेप, सामाजिक कार्यक्रमों व सीधी बातचीत आदि जैसी बातें हाथ में ली जानी चाहिए।

(ख) सामाजिक व आर्थिक न्याय तथा महिला-पुरुष भेदभाव के खिलाफ न्याय के सामाजिक आंदोलनों में इन प्रयासों का आधार हो।

(६) निम्न समूहों से सम्पर्क हो :

(क) आंदोलनों में शामिल कर्मशील।
(ख) मीडिया के पत्रकार।
(ग) विद्यार्थी।
(घ) शिक्षक।
(च) कार्यकर्ता, दलित, आदिवासी व महिला समूह तथा उनके मंडल।
(छ) समाज के उदारवादी वर्ग।

(७) कुछ समूह सांस्कृतिक व मीडिया में हस्तक्षेप के बारे में काम कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटकों के समूहों, गीत गाने वाले समूहों, स्थानीय सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों आदि का समावेश हो सकता है। फिल्म प्रदर्शन से भी बड़ा प्रभाव डाला जा सकता है।

(८) विद्यार्थियों, शिक्षकों व कर्मशीलों के लिए चर्चाएं, व्याख्यान, कार्यशालाएं आयोजित हों। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बस्ती में ही बातचीत हो। विद्यार्थियों के साथ एन. एस. एस. द्वारा और शिक्षकों के साथ उनके मंडलों द्वारा बातचीत हो।

(९) इन मुद्दों को शामिल किया जाए : मध्य युगीन इतिहास के बारे में धारणाएं, मंदिरों का निर्माण, अनिवार्य धर्मांतरण, राजाओं के गठबंधन, समन्वयात्मक परम्पराएं, सूफी व संतों, संस्कृति और धर्म :

(क) धर्म व मानव समाज, धर्मों के पहलू, धर्मों के प्रकार : आदिवासी, क्षेत्रीय धर्म, पैगंबर-आधारित धर्म। ईश्वर के ख्याल का उद्‌भव, भारत में धार्मिक समुदाय।

(ख) देश के विभाजन की दुर्घटना और कश्मीर की समस्या।

(ग) साम्प्रदायिक हिंसा व स्वातंत्र्योत्तर राजनीति, १९८० का दशक, मीनाक्षीपुरम्, शाहबानो, समान नागरिक संहिता।

(घ) मुस्लिमों को चार पत्नियां और २० बच्चे, पाकिस्तान के प्रति वफादारी, रूढ़िवादिता आदि।

(च) आतंकवाद, साम्राज्यवाद और इस्लाम।

(छ) आरएसएस का उद्‌भव और उसके अनेक मुंह तथा उनकी कार्यसूची।

(ज) धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए लड़ाई।

(१०) चर्चाओं को इन बातों से समर्थन मिलना चाहिए :

(क) परियोजनाएं : अल्पसंख्यक समुदाय के साथ मिलन, अपराध, साम्प्रदायिक हिंसा, दंगों की जांच, मोहल्ले।

(ख) पुस्तकों, कैसेटों और संदर्भ साहित्यों का आदान-प्रदान।

(ग) उपरोक्त सामग्रियों से युक्त ग्रंथालय।

(घ) विविध गतिविधियों के लिए समूहों का गठन। समुदाय में नवीनतम गतिविधियां।

श्री प्रसाद चाको

आशा की कोई किरण नहीं दिखती है, परंतु हमें संविधान को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करना ही चाहिए। क्या आज के संदर्भ में पुनर्शांति संभव है? हिन्दुत्व के परिबल उनके अपने आंतरिक

कार्यशाला के अंत में पेश सुझाव

- समस्या की गहराई तक पहुंचना और समान मंच पर लड़ाई को मजबूत बनाना चाहिए।
- हमें सर्वमान्य राष्ट्रीय अभियान गुजरात से शुरू करना चाहिए।
- आंतरिक मतभेद भुलाना और लोकतंत्र के लिए लड़ना चाहिए।
- जागृति अभियान की सघनता बढ़ानी चाहिए।
- निष्पक्ष वकीलों का समूह तैयार करना, जो समर्थन दें।
- राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए एकमंच तैयार करना चाहिए।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिमायत का समय आ गया है।
- स्वामित्व के अधिकारों पर नए सिरे से विचार करना जरूरी है।
- विपत्तिग्रस्त लोगों के लिए पैकेज बनाने की जरूरत है। इसके लिए हिमायत शुरू करनी चाहिए।
- सभी को साथ मिल कर पैकेज की नीति बनानी चाहिए।
- नागरिकता व तमाम नागरिकों के अधिकारों की व्यापक समस्याओं पर विचार करना चाहिए।
- पुनर्वास एक राजनीतिक मुद्दा है और इस संदर्भ में ही उसे समझना चाहिए।
- पुनर्वास के कार्यक्रम में अन्य समुदायों को भी शामिल करना चाहिए।

विरोधाभासों के कारण ही टूट जाएंगे। पुनर्शांति के संदर्भ में यदि हमें परिणाम चाहिए तो सामाजिक व आर्थिक समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। गुजरात में न्याय में विलम्ब होता है और इसीलिए न्याय नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि पिछले चार वर्षो में हम हार गए हों। इससे निराशा पैदा हुई है। पीड़ितों के लिए कानूनी न्याय अभी भी दूर की कौड़ी है। वे कब न्याय प्राप्त करेंगे, यह उन्हें नहीं मालूम है। समानता के बगैर सत्य और पुनर्शांति संभव नहीं है। अहमदाबाद में पूरी तरह समुदायों का विभाजन हो चुका है। हिन्दुत्व के परिबलों के पिछले २५ वर्षों के प्रयासों का यह परिणाम है। इन परिबलों ने गुजरात को अवसर दिया है। गांधी के इस गुजरात का शरीर विरोधाभासों से भरपूर है। अहिंसा का अर्थ यह होता है कि कोई विरोध ही न करे। पश्चाताप क्यों नहीं है, ऐसा सवाल कभी पूछा गया है? लोगों को जो मुआवजा दिया गया है, वह अपमानजनक है। राहत शिविरों में वातावरण और भोजन की गुणवत्ता असह्य थी। फिर किस तरह फिर से शांति का निर्माण हो सकता है? दलितों व आदिवासियों का उपयोग हिन्दुत्व के परिबलों ने किया है, जबकि वे तो समाज में सबसे निचले स्तर पर हैं। उन्होंने जो हिंसा की थी, वह मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए की थी।

प्रो. शिव विश्वनाथन

यह तो एक हिन्दी फिल्म जैसा है : 'पुनर्शांति : अतिशय संवेदनशील' पुनर्शांति के लिए योग्य भाषा हमारे पास नहीं है। उसके लिए अलग भाषा की जरूरत है और उसके लिए नाट्यात्मक कवायद की जरूरत है। जब भी हम समाधान की बात करते हैं तब दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, परंतु दोनों की स्थिति बिल्कुल अलग है। हमने दंगों को युद्ध में बदल डाला है। उसे न्यायी युद्ध समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि पीड़ितों को हम खत्म कर डालेंगे। हिन्दुत्व के परिबलों की तुलना में विकास का मॉडल अधिक खतरनाक है। लोकतांत्रिक समाज, उपभोक्तावादी समाज और निद्राधीन समाज में पुनर्शांति की बात करना संवेदनशील मामला है। इसके नकारात्मक व सकारात्मक दोनों पहलुओं पर हमें ध्यान देना होगा।

सुश्री सोफिया खान

आज किसे पुनर्शांति चाहिए? पीड़ितों को, सहानुभूति रखने वाले लोगों को, राज्य को या धर्मनिरपेक्ष परिबलों को? २००२ के दंगे मानवजाति के विरुद्ध अपराध था। राज्य विफल रहा है। क्या हम वास्तव में पीड़ितों को २००२ से पूर्व की स्थिति में ला सकेंगे? कोयम्बटूर में जैसे राज्य को हम जिम्मेदार बना सके हैं, वैसे गुजरात में नहीं कर सके हैं। मुआवजे के नाम पर मुस्लिमों को बहुत ही घटिया आवास मिले हैं और वह भी धार्मिक समूहों व मुल्लों के द्वारा मिले हैं। मुस्लिमों के लिए जीवन निर्वाह अर्थात् लारी और पान की दुकान। गुजरात सरकार ने केन्द्र से प्राप्त १५० करोड़ रुपयों में से १९ करोड़ रुपए यह कह कर लौटा दिए कि पुनर्वास

पूरा हो गया है। आज भी, यह कहना खतरनाक है कि हम मुसलमान हैं। राज्य सरकार के तमाम विभाग मुस्लिमों का बहिष्कार करते हैं, यह हकीकत है। २० प्रतिशत मुस्लिमों ने अपना जीवन निर्वाह बदल डाला है। वेश्यावृत्ति बढ़ गई है। वे मदरसों को आधुनिक बनाने की तैयार हैं, परंतु मुख्य धारा की शिक्षा में उन्हें कैसे लाया जाए?

उपरोक्त प्रस्तुतियों के बाद प्रश्नोत्तरी हुई। इसमें निम्नानुसार महत्वपूर्ण मत व्यक्त हुए थे:

(१) मेल-मिलाप और पुनर्शांति का निर्माण एक आदर्शवादी मुद्दा है। हमें तो जीवन निर्वाह पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

(२) बहुसंख्यक समुदाय के जिन लोगों ने पीड़ितों की मदद की हो, ऐसे मामले प्रकाश में लाने चाहिए।

(३) हमें राजनीतिक लड़ाई लड़नी है। तथाकथित सभ्य समाज का आज अस्तित्व नहीं है। अर्थपूर्ण संवाद का वातावरण आज है ही नहीं।

(४) साम्प्रदायिक शक्तियां किसी भी तरह अल्पसंख्यक समुदाय को पीछे धकेल देना चाहती हैं। इसीलिए हमारा कोई भी प्रयास निरर्थक बन जाता है।

(५) जब विपत्तियां आती हैं, तब अखबार दान के लिए बड़े-बड़े विज्ञापन देते हैं। दंगों के पीड़ितों के लिए ऐसे कोई विज्ञापन नहीं आए।

(६) हिन्दुत्व के परिबलों का प्रयोग पूरा नहीं हुआ है। अतः हमें रोज-रोज लड़ना होगा।

इस बैठक के बाद निम्न दो समूहों में चर्चा हुई।

कानून, न्याय व राज्य की समस्याएं

इस विषय सम्बंधी प्रथम समूह के अध्यक्ष फादर सैड्रिक प्रकाश थे और इसमें सोफिया खान, उस्मानभाई, सुनीता व प्रसाद चाको ने प्रस्तुतिकरण दिया। इसमें आए महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नानुसार थे :

(१) सभी राजनीतिक दलों को मात्र मतों की ही चिंता है।

(२) न्याय के वातावरण के बगैर पुनर्शांति नहीं हो सकती।

(३) अधिकांश मुस्लिम लड़कों की पुलिस जांच नित्यक्रमानुसार होती है।

(४) न्यायपालिका भी अल्पसंख्यकों के प्रति पूर्वाग्रह रखती है।

(५) पोटा के तहत गिरफ्तार सभी २१४ लोग मुस्लिम हैं।

(६) समृद्ध मुस्लिम कानूनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते।

(७) अधिकांश मुस्लिमों को बीपीएल कार्ड नहीं दिए जाते और एपीएल कार्ड स्वीकारने को बाध्य किया जाता है।

(८) फैजल पार्क के ४५ परिवारों का पुनर्वास हुआ, परंतु वे पुनः नरोडा पाटिया चले गए क्योंकि उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई थी और वे अमानवीय स्थिति में जी रहे थे।

सामाजिक पुनर्शांति की समस्याएं

दूसरे समूह की चर्चा में अध्यक्षता हर्ष मंदर ने की। इसमें न्यायगृह और उत्थान द्वारा मंजरी सेवक, सारा अहमद, हीरेन गांधी और सरूप ध्रुव द्वारा प्रस्तुति की गई। चर्चा के दौरान सामने आए मुद्दे निम्नानुसार हैं :

(१) आघात पर मेल-मिलाप, व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से मेल-मिलाप की जरूरत है।

(२) भूतकाल का अन्याय दूर करना। कानून-आधारित राज्य व्यवस्था लागू करना।

(३) पुनर्रचनात्मक न्याय। समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

प्रभावित न्याय का स्वरूप तय करें।

(४) जीवन निर्वाह की समस्याओं को अलग से नहीं बल्कि समग्र दृष्टि से देखा जाए।

(५) दंगों के बाद राहत शिविरों से जो घर लौटे, उन्हें उनके घरों में कुछ नहीं मिला। वे कंगाल हो गए।

(६) यह जरूरी है कि पीड़ित सम्मानपूर्वक जिएं।

(७) गैर-सरकारी संगठनों को एक होना चाहिए और फासीवाद के खिलाफ समग्रतया लड़ना चाहिए। हम हिन्दुत्व के परिबलों का धार्मिक प्रचार नहीं रोकते, कुछ गैर सरकारी संगठन इसमें भागीदार होते हैं।

(८) १५ अगस्त कों जब दाहोद में मुख्यमंत्री राष्ट्र ध्वज फहराने आने वाले थे तब १२८ में से १२० गैर-सरकारी संगठन उन्हें समर्थन देने वाले थे।

(९) मुस्लिमों ने हिन्दुओं की सर्वोपरिता स्वीकारी है क्योंकि आर्थिक मामलों में उन्हें हिन्दुओं पर निर्भर रहना पड़ता है।

(१०) आरएसएस यह दुष्प्रचार क्यों करता है कि प्रत्येक आतंकवादी मुस्लिम होता है?

(११) प्रभावित लोगों के लिए हमारे संगठनों में कोई जगह है ही नहीं, हम उन्हें नौकरी नहीं देते।

(१२) शांति की बात इक्के-दुक्के लोग नहीं कर सकते। हमें वैश्वीकरण व साम्राज्यवाद के संदर्भ में इसे देखना होगा।

गुजरात २००२ : जीवन निर्वाह और शिक्षा

कार्यशाला के दूसरे दिन इस विषय के बारे में चर्चा हुई। इसमें डॉ. सारा अहमद, फादर पॉल डिसूजा, हनीफ लाकडावाला, मनीष तेवानी और जाह्नवी अंधारिया ने अपनी राय निम्नानुसार व्यक्त की।

डॉ. सारा अहमद

शांति निर्माण और जीवन निर्वाह के बीच सम्बंधों की फिर से जांच जरूरी है। संसाधनों पर योग्य तरह से नियंत्रण जरूरी है। हमें चयन का अधिकार होना चाहिए और हमें यह जिम्मेदारीपूर्वक करना चाहिए। न्यायी व स्थाई जीवन निर्वाह के साथ पुनर्शांति जुड़ी हुई है। तत्काल मानवतावादी राहत और पुनर्वास की जरूरत है। शासन निर्माण तथा संस्था निर्माण महत्वपूर्ण है।

डॉ. हनीफ लाकडावाला

गैर-सरकारी संगठन काफी विफल रहे हैं और फासीवादी बलों के विरुद्ध एक धर्मनिरपेक्ष मंच खड़ा नहीं कर सके हैं। दंगों के पीड़ितों के सामूहिक आत्म गौरव के बारे में हमें सोचना चाहिए। २००२ के दंगे मुस्लिमों के आत्म गौरव पर हमला था। वे अपने स्थल पर जी सकें, इसके लिए न्याय और मुआवजे को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। २००२ के दंगे हमारे जीवन का एक बड़ा मोड़ है। गैर-सरकारी संगठन संगठित प्रतिभाव देने में बिल्कुल विफल रहे हैं। २००२ के बाद कोई संगठित धर्मनिरपेक्ष बल स्थापित नहीं हुआ है। मात्र आय सृजन की पद्धतियां पीड़ितों को देने से कुछ नहीं होगा। मुस्लिम बालकों की भी आशाएं व आकांक्षाएं हैं।

फादर पॉल डिसूजा

(१) जीवन निर्वाह में महिलाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

(२) पुनर्शांति के संदर्भ में जीवन निर्वाह के प्रश्न को जांचना चाहिए।

(३) जीवन निर्वाह के लिए विकल्प जांचने और उन्हें वे घर-आंगन में ही उपलब्ध कराना होगा। उनकी जरूरतों का आकलन इसके लिए करना चाहिए। इस संदर्भ में ये सवाल खड़े होते हैं: (१) क्या गैर-सरकारी संगठन प्रशिक्षण के लिए भूमिका निभा सकते हैं? उनकी काम करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं? इससे उन्हें सामाजिक दर्जा भी मिलेगा। (२) जीवन निर्वाह के कौनसे विकल्प आज उपलब्ध हैं, इसके बारे में क्या कोई अध्ययन हो सकता है? (३) हम सबके लिए

शेष पृष्ठ 22 पर

साम्प्रदायिक हिंसा (प्रतिरोध) विधेयक, २००५

यू.पी.ए. सरकार ने साम्प्रदायिक (कौमी) हिंसा दबाने के लिए विधेयक का मसौदा तैयार किया है। इस विधेयक के कुछ प्रावधानों को लेकर बड़ा विवाद पैदा हुआ है। इस विधेयक के द्वारा सरकार वास्तव में तो सशस्त्र बलों को मिलने वाले विशाल अधिकारों के द्वारा नागरिक अधिकारों व स्वायत्ता पर गंभीर कुठाराघात करती है, तो दूसरी तरफ राज्यों की स्वायता में बड़ी कटौती करती है। विधेयक के उद्देश्यों के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। राष्ट्र के धर्म निरपेक्ष स्वरूप और राष्ट्र की एकता व अखंडता के विरुद्ध साम्प्रदायिक (कौमी) हिंसा सबसे बड़ा खतरा है, यह निर्विवाद है, परंतु यह विधेयक निर्दोष नागरिकों के अधिकारों व स्वायत्तता पर कुठाराघात किए बगैर ऐसी हिंसा प्रभावी रूप से दबा सकेंगे, यह अत्यंत संदिग्ध है। वास्तव में तो ऐसा लगता है कि ऐसे विशेष कानून की जरूरत ही नहीं है। ऐसा विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय फौजदारी कानून और ऐसे अन्य कुछ मौजूदा कानूनों को यदि प्रभावी, निष्ठापूर्वक, निष्पक्ष रूप से और कड़ाई से लागू किया जाए तो साम्प्रदायिक हिंसा को दबाया जा सकता है। इस सम्बंध में **पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल)** द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट यहां दी गई है।

राष्ट्र के धर्म निरपेक्ष रूप, राष्ट्र की एकता व अखंडता को खतरे में डालने वाली बड़े पैमाने पर होने वाली साम्प्रदायिक हिंसा के बारे में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की चिंता की हम कद्र करते हैं। उसे काबू करने की उनकी कटिबद्धता व राजनीतिक रूप से बहुसंख्यक साम्प्रदायिक परिबलों के हाथों पैदा भयजनक वातावरण से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के भय व संत्रास के विरुद्ध उनमें विश्वास और आशा जगाने के उनके इरादे की हम प्रशंसा करते हैं। यह उद्देश्य पूरा करने के लिए मौजूदा सरकार ने साम्प्रदायिक हिंसा (प्रतिरोध) कानून लागू करने का निर्णय किया है। गुजरात से सम्बंध रखने वाले और लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष संविधान के संचालन व सिद्धांत तथा बुनियादी मूल्यों को समर्पित व उसके लिए सक्रिय नागरिक इस मसौदे व उसके अंतर्गत सिद्धांतों, दृष्टिकोणों और प्रावधानों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसमें प्रशंसनीय उद्देश्य होने के बावजूद वह अंतिम स्वरूप ले, उससे पहले इस विधेयक पर राष्ट्रव्यापी चर्चा, संवाद और परामर्श की आवश्यकता है।

हमारी चिंता, संदेह और भय के मुख्य मुद्दे निम्नानुसार हैं :

(१) विधेयक का आमुख स्पष्ट रूप से कानून के उद्देश्य व लक्ष्य घोषित करता है कि संविधान में बुनियादी तत्व के रूप में धर्म निरपेक्षता है और संविधान की धारा-३५५ के तहत बाहरी आक्रमण के विरुद्ध आंतरिक अव्यवस्था उपस्थित कराने, धर्म निरपेक्ष रूप को नष्ट करने और राष्ट्र की एकता व अखंडता को चुनौती देने वाली साम्प्रदायिक हिंसा के रुख के विरुद्ध राज्य की रक्षा करने और अल्पसंख्यक कौमों में विश्वास तथा श्रद्धा पैदा करने का दायित्व केन्द्र सरकार का है।

बुनियादी सवाल ये हैं : क्या प्रस्तावित विधेयक विविध प्रावधानों में यह उद्देश्य तथा लक्ष्य प्रतिबिंबित होता है और हासिल करता है? लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और समवायिक तत्व जैसे संविधान के बुनियादी तत्वों को पर्याप्त सम्मान दिया गया है और उसका संवर्धन किया गया है। क्या कानून अधिक घातक और मूल रोग के मुकाबले अधिक भयजनक नहीं है? क्या कायदा वर्तमान साम्प्रदायिक हिंसा और उसका सच्चा चरित्र स्पष्ट रूप से, थोड़ा भी समझ सका है और उसका प्रभावी सामना कर सकेगा? क्या कानून विरोधी उद्देश्य सिद्ध करने वाला बन कर अल्पसंख्यकों को अधिक मुश्किलों में नहीं डालेगा, क्या कानून कौमी हिंसा के सभी पहलुओं और परिबलों को शामिल कर लेने

के लिए पर्याप्त सर्वाश्लेषी है, पुलिस, राजनीतिज्ञों और अधिवक्ताओं की गुणवत्ता और चरित्र को देखते हुए क्या कानून उसके शब्द व उद्देश्य पाने में सक्षम है, विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए विभन्न कानून होने जरूरी नहीं हैं, क्या वर्तमान कानून अधिक सशक्त बनाए जा सकते हैं, क्या इसमें संशोधन करके उसे कौमी हिंसा के खिलाफ कार्यरत किया जा सकता है?

(२) हाल में कानून में व्याख्यायित किए गए अनुसार कौमी हिंसा से जुड़े विविध कानून हैं: भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, पुलिस कानून और अन्य आपराधिक कानून, एट्रोसिटीज एक्ट आदि। हमें यह सर्वांगीण रूप से जांचना चाहिए कि ये कानून निष्प्रभावी क्यों बने हैं और वे क्या वास्तव में विफल रहे हैं, क्योंकि इसमें निहित रूप से खामियां हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है? क्या कानून राजनीतिक इच्छा के अभाव में उसके क्रियान्वयन की विफलता के कारण निष्प्रभावी साबित हुए हैं कि समाज के उत्तरदायित्व के अभाव और उसके दबाव तले निष्प्रभावी रहे हैं? यदि वे ऊपर दर्शाए कारणों से हों तो नए कानून प्रयोग किए जा सकेंगे ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता। जातियों के झगड़ों में एट्रोसिटी एक्ट की ऐसी ही विफलता काफी सबक सिखा सकती है, यह सूचक है।

(३) प्रस्तावित कानून धार्मिक, जातिगत, वित्तीय, प्रांतीय और जातिगत अनबनों तथा हिंसा को एक साथ रखता है। ये सभी गुणात्मक रूप से एक-दूसरे से भिन्न हैं और प्रत्येक के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। एक्ट कानून इन सभी के लिए काम नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पर एट्रोसिटीज एक्ट में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रति हिंसा को काबू में लेने व रोकने के लिए विस्तृत तथा विशद प्रावधान हैं तो फिर यह नए कानून में किसलिए शामिल किया गया है।

(४) धार्मिक अल्पसंख्यक और उस समुदाय के प्रति हिंसा अधिक भयानक प्रश्न है जिसका सामना आज राष्ट्र कर रहा है। इसके विरुद्ध अलग तरह से काम करना चाहिए।

(५) हिन्दू-मुसलमान और ईसाइयों के बीच अभी हाल से होने लगी साम्प्रदायिक अनबनों को दो भिन्न स्तरों में वर्गीकृत करना चाहिए; (१) स्थानीय व अमुक समूह के बीच सीमित तथा बहुत बड़े पैमाने पर राजनीति के साथ जुड़े हों, ऐसे साम्प्रदायिक हिंसा के सामान्य मामले (२) २००२ में गुजरात में फैली राज्याश्रित व राजनीतिक और शक्तिशाली सामाजिक समूहों द्वारा समर्थन प्राप्त साम्प्रदायिक हिंसा जो स्पष्ट वैचारिक व राजनीतिक कार्यक्रम सिद्ध करने के की जाने वाली हिंसा है, के लिए एक कानून नहीं चलेगा। सन १९८० से १९९० के साम्प्रदायिक दंगे को दोनों प्रकार के यानी स्पष्ट रूप से लागू की गई राजनीति, अल्पसंख्यकलक्ष्यी व जिसे राज्य की मान्यता मिली है। प्रस्तावित कानून, इसका जवाब नहीं है जिसमें सरकार को बहुतायत अधिकार दिए गए हैं, । २००२ के मुस्लिमों के विरुद्ध गुजरात की साम्प्रदायिक हिंसा सामान्य प्रकार की हिंसा का प्रकार नही थी, वह राजनीतिक समर्थन वाली, व्यवस्थित रूप से आयोजित व गुजरात राज्य द्वारा समर्थित और सहायित और केन्द्र सरकार द्वारा उपेक्षित व नजरअंदाज किया गया मुस्लिमों का कत्लेआम थी। ऐसे कत्लेआम से प्रस्तावित कानून कैसे निपट सकता है?

(६) यद्यपि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना और उनमें श्रद्धा व विश्वास जगाना है, परंतु उसके प्रावधान यह उद्देश्य पूरे करते नहीं लगते क्योंकि धारा ३ व ४ धार्मिक तथा अन्य समूहों के प्रति हिंसा के मामलों को शामिल करती है यानी वह स्पष्ट रूप से अल्पसंख्यक द्वारा की गई हिंसा को भी शामिल कर लेती है। आज की परिस्थिति में मुस्लिमों की आतंकवादियों के साथ तुलना की जाती है और उनके द्वारा दृढ़ विरोध तथा प्रति कदमों को साम्प्रदायिक हिंसा एवं साम्प्रदायिक तनाव के रूप में ही गिना जाएगा और परिणामतः टाडा एवं पोटा कानून के अमल जैसा ही होगा। प्रस्तावित कानून में इसके लिए भयानक आशंकाएं हैं और उसका उपयोग मुस्लिमों के विरूद्ध निश्चित ही किया जाएगा। क्या तुम रोक सकोगे?

(७) क्षेत्रों को साम्प्रदायिक हिंसाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर और उसके

परिणामस्वरूप कदम उठाना शुरू कर प्रस्तावित कानून राज्य एवं केन्द्र सरकार को साम्प्रदायिक हिंसा के विरुद्ध काम करने का अधिकार देता है। गुजरात की साम्प्रदायिक मानसिकता से मोदी सरकार का क्या? उसके विरुद्ध इस कानून के तहत केन्द्र सरकार क्या कर सकेगी? क्या केन्द्र सरकार स्वयं अधिसूचना जारी कर धारा-३ के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना रद्द कर सकती है? और जब एक समान राजनीतिक दल या दलों की राज्य एवं केन्द्र सरकार यानी राज्य की मोदी सरकार केन्द्र की वाजपेयी सरकार होगी, तब परिस्थिति अत्यंत कठिन हो जाएगी। ऐसी स्थिति में दोनों ओर से अल्पसंख्यकों को बर्दाश्त करना पड़ेगा - समाज में साम्प्रदायिक हिंसा तथा सरकार द्वारा कानून का दुरुपयोग।

(८) प्रस्तावित कानून राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार को अत्यंत व्यापक अधिकार देता है। सेना तैनात करना, देखते ही गोली मार देना जैसे भयंकर और प्रतिगामी कदम, पुलिस बलों का उपयोग, गिरफ्तारी, प्रतिबंधक गिरफ्तारी व तड़ीपार, घर की तलाशी, धार्मिक स्थलों और किसी भी क्षेत्र की जांच, सभी वस्तुओं, हथियारों तथा पदार्थों की जब्ती, ये सारे प्रावधान हाल के अन्य कानूनों में है और अनुभव यह रहा है कि साम्प्रदायिक तनाव के समय उसका उपयोग अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरेआम हुआ है और वह भी तब जब अल्पसंख्यक कौम तनाव का शिकार बनी हो, गुजरात में भी ऐसा ही हुआ था।

(९) जमानत के लिए अत्यंत कड़ा प्रावधान टाडा और पोटा के प्रावधानों का पुनरावर्तन है और इन प्रावधानों का अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के खिलाफ असीमित ढंग से सरेआम दुरुपयोग होगा।

(१०) असम में मौजूदा आर्म्स एक्ट के खिलाफ जन आंदोलन जारी है। ऐसी ही स्थिति प्रस्तावित कानून के प्रावधानों में आ सकती है।

(११) कुछ सीमाओं के साथ विशेष न्यायालयों के खिलाफ आपत्ति-विरोध नहीं है। केवल आपराधिक न्याय केन्द्र व राज्य सरकार से है - यानी कि उसकी जांच करने वाली पुलिस तथा पब्लिक एवं पुलिस प्रोसीक्यूटर के तहत। उनकी तटस्थता तथा निष्पक्षता किस तरह स्थापित की जाए। दूसरा यह कि सामान्य आपराधिक कोर्टों की गुणवत्ता, जिसमें जज सामान्य सामाजिक स्तर से और सामान्य पृष्ठभूमि वाले होते हैं। तुम पूर्वाग्रह या पक्षपातरहित तथा भयरहित कानून के निर्लेप पालन के लिए आश्वस्त हो? ऐसा आश्वासन कहां है कि गुजरात का परिदृश्य फिर से नहीं दोहराया जायेगा?

(१२) पीड़ितों को कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे के प्रावधानों का स्वागत है, परंतु ऊपर दर्शाई सीमाओं और आशंकाओं के साथ।

(१३) 'राहत और पुनर्वास' का प्रकरण-५ काफी अच्छा है, उसका स्वागत है। साम्प्रदायिक तनाव राहत और पुनर्वास समिति प्रभावी रूप से समय पर एवं अर्थपूर्ण तरह से किस तरह कार्यरत हो, उस पर ध्यान केन्द्रित करना जरूरी है। गुजरात जैसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित होने वाली यह समिति कई आशंकाएं पैदा करती है। केन्द्र सरकार, यदि तटस्थ और दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर काम करे तो इस समिति का गठन एवं कार्यशैली में अधिक योगदान देना चाहिए। समिति के अधीनस्थ जिस फंड की रचना होगी उसे समिति के सुपुर्द करना चाहिए। कई सम्माननीय स्वतंत्रत हस्तियों को इस समिति के कार्य के साथ जोड़ना चाहिए। केन्द्र स्तर पर इस समिति के काम का सतत अवलोकन करवा कर व्यवस्था की जानी चाहिए। यह समिति के सफल कार्य के लिए नितांत आवश्यक है कि राहत और पुनर्वास के कार्य में पूर्ण पारदर्शिता रहे तथा लोगों को तमाम सूचना सतत दी जाए,

(१४) आश्चर्यजनक बात यह है कि अनबन पैदा ही नहीं हो, ऐसे प्रावधानों का प्रस्तावित कानून में अभाव है। ऐसी घटना नहीं होने की स्थिति का निर्माण साम्प्रदायिक हिंसा टालने का सफल साधन है। कई प्रावधान एट्रोसिटीज एक्ट में है। स्वतंत्र जांच एजेंसी, साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों

की घोषणा, छोटी घटनाओं पर गलत जानकारी और अफवाहों को टालने के प्रभावी कदम, उकसाने वाले भाषणों व पर्चों पर नियंत्रण, अल्पावधि की गिरफ्तारियों, सही जानकारियों के लिए सही सूचना केन्द्र, सही समय पर सभी को पहुंचाने वाली व्यवस्था, संयुक्त शांति समितियों, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा क्षेत्र की विख्यात हस्तियों की सूची, हिंसा रोकने व अव्यवस्था दूर करने की सभी व्यवस्थाओं का सतत अवलोकन की जरूरत वाले क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों की सतत कार्यरत भागीदारी की अनिवार्य आवश्यकता है। यद्यपि इसके लिए प्रमाणिकता, निष्ठा और उद्देश्यपरक एवं प्रतिबद्धता अनिवार्य है। यद्यपि उसका आश्वासन नहीं दिया जा सकता, परंतु हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। साम्प्रदायिक हिंसा को दबाने के लिए किसी भी रणनीति के लिए यह कदम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह कानून की सीमा के बाहर से उपलब्ध कराना पड़ता है।

(१५) विशिष्ट व उच्च गुणवत्ता वाली विशेष अदालतें उकसाने वाले भाषणों तथा उत्तेजक अपराधों के विरुद्ध तेजी से और पक्षपात बगैर मामले चलाने के लिए स्थापित करनी पड़ेंगी। पुलिस की समय पर कोर्ट की कार्यवाही, प्रतिबंधित प्रावधानों, त्वरित मुकदमों और स्पष्ट सजाओं से समस्याओं को उभरते ही दबाया जा सकता है।

(१६) साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र तय करने व साम्प्रदायिक एकता के उल्लंघन के लिए निश्चित जिम्मेदारी रखने वाले पुलिस अधिकारियों व अन्य विशेष अधिकारियों की इन क्षेत्रों के लिए नियुक्ति साम्प्रदायिक हिंसा दबाने व रोकने के लिए बड़ी सेवा कर सकेगी। उच्चतम न्यायायलय ने गलत कदम उठाने और कदम नहीं उठाने के लिए अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने के सिद्धांत को मान्यता दी है।

(१७) प्रस्तावित कानून केन्द्र व राज्य के बीच के संवैधानिक अधिकार तथा कामकाज के संतुलन को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है और अधिक केन्द्रीकरण पैदा करता है। इसके कारण कानून न्यायतंत्र की नजर में कदाचित कमजोर साबित हो। इसके बदले सहयोगपूर्ण व एक-दूसरे को पूरक व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है बशर्ते सभी प्रमाणिक तरीके से व सही दिल से प्रयत्न करें।

(१८) प्रस्तावित कानून अत्यंत गंभीर तथा बुनियादी खामियों से युक्त है। वह साम्प्रदायिक हिंसा को मात्र कानून-व्यवस्था के मुद्दे के रूप में देखता है। वास्तव में यह आवश्यक रूप से राजनीतिक और सामाजिक प्रश्न है, जो अलग नीति पुलिस कार्यवाही सहित रणनीति व कार्यवाही की अपेक्षा रखता है। राष्ट्रीय कैरियर रखने वाले समाज जीवन के विविध वर्गों से आने वाले न्यायाधीशों, शिक्षाविदों, राजपुरुषों, कर्मशीलों सहित वरिष्ठ सम्माननीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बने उच्चाधिकार प्राप्त साम्प्रदायिक हिंसा विरोधी राष्ट्रीय आयोग का गठन करना चाहिए। आयोग के पास जांच, पूछताछ, गिरफ्तारी, निरीक्षण व देखरेख के अबाध्य अधिकार हों तथा ऐसे आयोग राज्य स्तर पर भी बनाए जाएं।

हम मानते हैं और इस निष्कर्ष पर आए हैं कि अंततोगत्वा यह चरित्र के दिवालिएपन व विचारधारा का प्रश्न है, परंतु हम इसके मूक साक्षी बन कर नहीं रह सकते। साम्प्रदायिक कैंसर संविधान व राष्ट्र को ग्रस रहा है। वह फासिस्ट विचारधारा तथा वंशीय काटछांट के कार्यक्रम से भयावह रूप धारण कर रहा है। यह अत्यंत संवेदनशील और नाजुक मामला भी है। इसके लिए लोगों के प्रत्येक वर्ग से धर्म निरपेक्ष, सेकुलर, लोकतांत्रिक और विवेकपूर्ण बौद्धिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। राज्य सरकार, कार्यकारिणी/व्यवस्था तंत्र, पुलिस, सेना, अदालत, न्यायाधिकरण, जनसंगठन, शैक्षणिक केन्द्रों को समग्रतः मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक सिद्धांत व मूलभूत दायित्वों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। इस सिद्धांत के प्रति दृढ़ता से अडिग रहना चाहिए और इन सिद्धांतों के विरुद्ध काम करने वालों, उनका आह्वान करने वाले बलों, समूहों तथा प्रश्नों को चुनौती देने, दबाने और उजागर करने की जिम्मेदारी निभाने के प्रति डगमगाना नहीं चाहिए, बल्कि इसके विरुद्ध लड़ते समय जो दुर्गुण तथा खराबियां सत्तालक्ष्यी व फासीवादी बलों के प्रति समर्पित कर देते हैं, ऐसा हमारे मामले में नहीं होना चाहिए। हमें संविधान के प्रति समर्पित होकर रहना चाहिए।

ऊर्जा घर : शांति और सौहार्द्र कायम करने का प्रयोग

२००२ के दंगों के बाद **'ओक्सफाम (इंडिया) ट्रस्ट'** के सहयोग से **'सेवा मंदिर'** और **'मानव कल्याण ट्रस्ट'** द्वारा क्रमशः राजस्थान के उदयपुर जिले के खेरवाड़ा और गुजरात के साबरकांठा जिले के खेड़ब्रह्मा तालूका में 'ऊर्जा घर' की स्थापना द्वारा हिन्दुओं व मुस्लिमों के बीच शांति व सौहार्द्र की स्थापना करने का प्रयास हुआ। इस प्रयास के बारे में जो सर्वे किया गया उसके आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के रीडर **डॉ. मनोज के. झा** द्वारा निकाले गए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष यहां पेश किए गए हैं।

प्रस्तावना

राजस्थान में २००४ में एक सर्वे किया गया। इसके बाद जून-२००५ में जो सर्वे किया गया, उसकी यह रिपोर्ट है। इस सर्वे का उद्देश्य गुजरात के २००२ के दंगों के संदर्भ में हिंसा का निवारण करना व शांति स्थापित करना तथा उसके लिए लम्बी अवधि का हस्तक्षेप करने के लिए भूमिका खोजना था। राजस्थान में उदयपुर जिले के खेरवाड़ा तालूका में यह सर्वे किया गया। उदयपुर जिला गुजरात की सीमा पर स्थित है और वहां २००२ के बाद बड़े पैमाने पर निराश्रित आए थे और इसीलिए वहां तनाव में अधिक वृद्धि हुई थी। इस सर्वे के दौरान हिन्दुओं, मुस्लिमों, आदिवासियों, महिलाओं, युवकों, किशोरों आदि समेत कुल ५०० जनों से मुलाकात की गई। इसके अलावा गुजरात में साबरकांठा जिले के खेड़ब्रह्मा तालूका में यह सर्वे किया गया। विविध समुदायों के बीच अविश्वास का जो माहौल पैदा हुआ था उसे दूर करने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप के विविध मॉडल स्थापित करने का निर्णय किया गया।

भेदभाव निवारण का उद्देश्य

विभिन्न स्तरों पर विविध व्यक्तियों और संगठनों द्वारा शांति के लिए अनेक प्रयास किए गए। इसके बावजूद यह पता ही था कि २००२ के दंगों के प्रभावितों के लिए और हिंसा को देखने वाले लोगों के लिए जिंदगी संभवतः जल्दी पूर्ववत नहीं होगी। इसीलिए यह महत्त्वपूर्ण था कि गुजरात के दंगों के बारे में 'हम' व 'तुम' के बीच जो ऊेदभाव है उसे किस तरह मिटाया जाए। समुदायों के बीच की खाई जो चौड़ी हो गई थी उसके फलस्वरूप उनके बीच के सम्बंधों के बारे में समझ विचित्र आकार प्राप्त कर चुकी थी। कौमवाद की इस तेज़ी से बढ़ती वृद्धि का एकमात्र विकल्प शांति का निर्माण करने के लिए संगठित प्रयास था। संघर्ष का निवारण करने के लिए विविध समुदायों के बीच उनके अपनत्व के संदर्भ के साथ विविध कार्यक्रम और प्रवृत्तियां करना जरूरी था।

किसी भी सामूहिक कत्ल के प्रभावितों व उसके साक्ष्यों व बच जाने वाले लोगों के लिए लम्बे समय तक उस हिंसा के चिन्ह व उसकी छवि के साथ जीवना पड़ता होता है। उसे भुलाने के लिए कोई त्वरित कदम होता ही नहीं है। इसके लिए यह भी उतना ही आवश्यक है हिंसा का आचरण करने वाले भुला न दिए जाएं। यह कार्यक्रम इस धारणा के साथ शुरू किया गया कि हिंसा समाज की व्यवस्थाओं और ढांचों में से जन्म लेती है और वह ऐसी होती है कि जो लोगों के शांति से जीवन जीने के मौकों को छीन लेती है। अल्पावधि के घाव और लम्बी अवधि का मानसिक व सामाजिक नुकसान समुदायों को तड़प-तड़प कर मारता है और समाज में जीना मुश्किल कर देता है। हिंसा दूर करने के लिए कारणों और लक्षणों दोनों को जांचना पड़ता है।

इसके अलावा व्यवहार के साथ सम्बंधित पूर्वाग्रहों, परस्पर व्यक्तित्व का निर्माण तथा अन्य अनेक पहलू भी महत्वपूर्ण होते हैं, जो वास्तव में विविध समुदायों में व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से व्यवहार की पद्धति तय करते है। कई वर्षो से पूर्वाग्रह बने होते हैं और इससे परस्पर सम्बंधों में अविश्वास पैदा होता है। कार्यक्रम शुरू होने से पहले यही इस अभ्यास का मूल मुद्दा था। यह भी पाया गया कि सांस्कृतिक व धार्मिक मामलों की परस्पर समझ काफी महत्वपूर्ण है। धर्म मत (वोट) की राजनीति का शिकार हुआ है

और धर्म जीवन जीने की पद्धति के बदले राजनीति का शिकार हुआ है और ध्येय के स्थान पर साधन बना तथा इसीलिए कौमवाद का आधुनिक स्वरूप खड़ा हुआ है, यह भी इस कार्यक्रम की शुरूआत से पहले माना गया था।

व्यापक प्रश्नों का आधार

संघर्ष निवारण का यह कार्यक्रम फिर से पहचान व संघर्ष के प्रश्नों, व्यवहार तथा स्थानीय स्तर पर होने वाले फेरबदलों को ध्यान में रख कर तैयार किया गया। पूर्वाग्रहों, मन में घर कर गई बातों और संस्थागत व्यवस्थाओं में धर्म तथा श्रद्धा आदि को इस कार्यक्रम का आधार बनाया गया। सम्बद्ध क्षेत्रों में किसे शत्रु समूह समझा जाता है, यह समझ में आया और यह पता चला है कि उनमें संघर्ष निवारण का ज्ञान बहुत कम है। वास्तव में अंतर्दृष्टि का अभाव और ऐसी संस्थाओं का अभाव महत्वपूर्ण था जो प्रभावी ढंग से इन समस्याओं को हल कर सकें। प्रत्येक गांव और नगर में प्रत्येक स्थल पर दोनों समुदायों में उदारवादी लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु कौमवाद के उछाल में वे दब गए हैं।

शांति निर्माण: 'ऊर्जा घर' का प्रयोग

गुजरात के साबरकांठा और राजस्थान के उदयपुर जिलों में 'ऊर्जा घर' के द्वारा विविध कार्यक्रम शुरू किए गए। यह 'ऊर्जा घर' एक संसाधन केन्द्र है। हिंसा के कारण उत्पन्न समस्याओं के प्रतिभाव के रूप में यह एक लम्बी अवधि का कार्यक्रम 'ओक्सफाम (इंडिया) ट्रस्ट' द्वारा शुरू किया गया।

कार्यक्रम के आरंभ में, २००४ में किए प्रथम अध्ययन में ४००० परिवारों से भेंट की गई। इनमें सवर्ण हिन्दू, दलित, आदिवासी आदि शामिल थे। इनमें मुस्लिम-विरोधी मानस की जबर्दस्त लहर दिखाई दी। ५५ प्रतिशत मुस्लिमों ने हिन्दुओं को दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया जबकि ३१ प्रतिशत सवर्ण हिन्दुओं, ४४ प्रतिशत दलितों और ६८ प्रतिशत आदिवासियों ने मुस्लिमों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। मात्र २० प्रतिशत लोगों का ही यह मानना था कि दंगे राजनीति से प्रेरित थे। यह भी पाया गया कि अधिकांश मामलों में दोनों समुदायों के बीच सर्वमान्य पहलू और संयुक्त जीवन के मामलों का तेजी से ह्रास हो रहा है। इसके अलावा अधिकांश लोगों ने यह भी कहा कि वे उनके समुदाय में ही मित्र रखते हैं और अपनी जाति या अपने धर्म में ही जो मित्रता हो वही अच्छी मित्रता हो सकती है।

पारस्परिक रूप से अधिक अवसरों की प्राप्ति

दूसरा सर्वे जून-२००५ में किया गया। इसमें ५०२ परिवारों से मुलाकात की गई। इस समय मात्र ११ प्रतिशत ने ही किसी एक समुदाय को दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराया। मात्र १३ प्रतिशत मुस्लिमों व १४.९ प्रतिशत सवर्ण हिन्दुओं ने परस्पर विरोधी आरोप लगाए, जबकि पूर्व के सर्वे में ६३ प्रतिशत ने परस्पर एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया था। यह दर्शाता है कि विभिन्न समुदायों की यह बात भी उल्लेखनीय थी कि २७ प्रतिशत लोग अपने गांवों में जीने में किसी गौरव की अनुभूति नहीं करते। यह बात इस कार्यक्रम के लिए चुनौती थी और साथ ही साथ उसकी दिशा भी तय करने वाली थी। स्थानीय माहौल में ही लोग अपना हित समझें, यह जरूरी है और यह तभी हो सकता है जब लोगों को परस्पर मिलने-जुलने के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हों।

'ऊर्जा घर' द्वारा युवकों, बालकों और महिलाओं से सम्बंधित प्रवृत्तियां शुरू की गईं। इसमें बंधनमुक्त, धर्मनिरपेक्ष और अहिंसक मूल्यों को केन्द्र में रखा गया। 'ऊर्जा घर' का महत्व उस रूप में है जिस तरह स्थानीय व्यक्तियों और समुदायों में काम करते हैं और सामाजिक व मानसिक मामलों को छूते हैं। 'ऊर्जा घर' एक विचार था और अब वह एक अस्तित्व बना है।

महत्वपूर्ण प्रश्न

मुलाकातों के दौरान पाया गया कि दोनों समुदायों और सभी जातियों के कई लोगों ने कहा कि उन्हें 'ऊर्जा घर' के बारे में मित्रों से सुनने को मिला है परंतु उन्हें उनकी मुलाकात लेने और वहां रहने का समय नहीं मिला। समुदायों के बीच रचनात्मक तथा सृजनात्मक सम्बंध स्थापित करने के लिए युवकों व किशोरों के लिए प्रवृत्तियां महत्वपूर्ण हैं और इसके लिए सघन प्रयत्न होना आवश्यक है। 'ऊर्जा घर' एक संयुक्त-सामूहिक स्थान है जहां तमाम जातियों व समुदायों के लोग संघर्ष की निरर्थकता को समझते हैं यह एक समावेशी केन्द्र है। यह पूर्वाग्रहों, जमी हुई

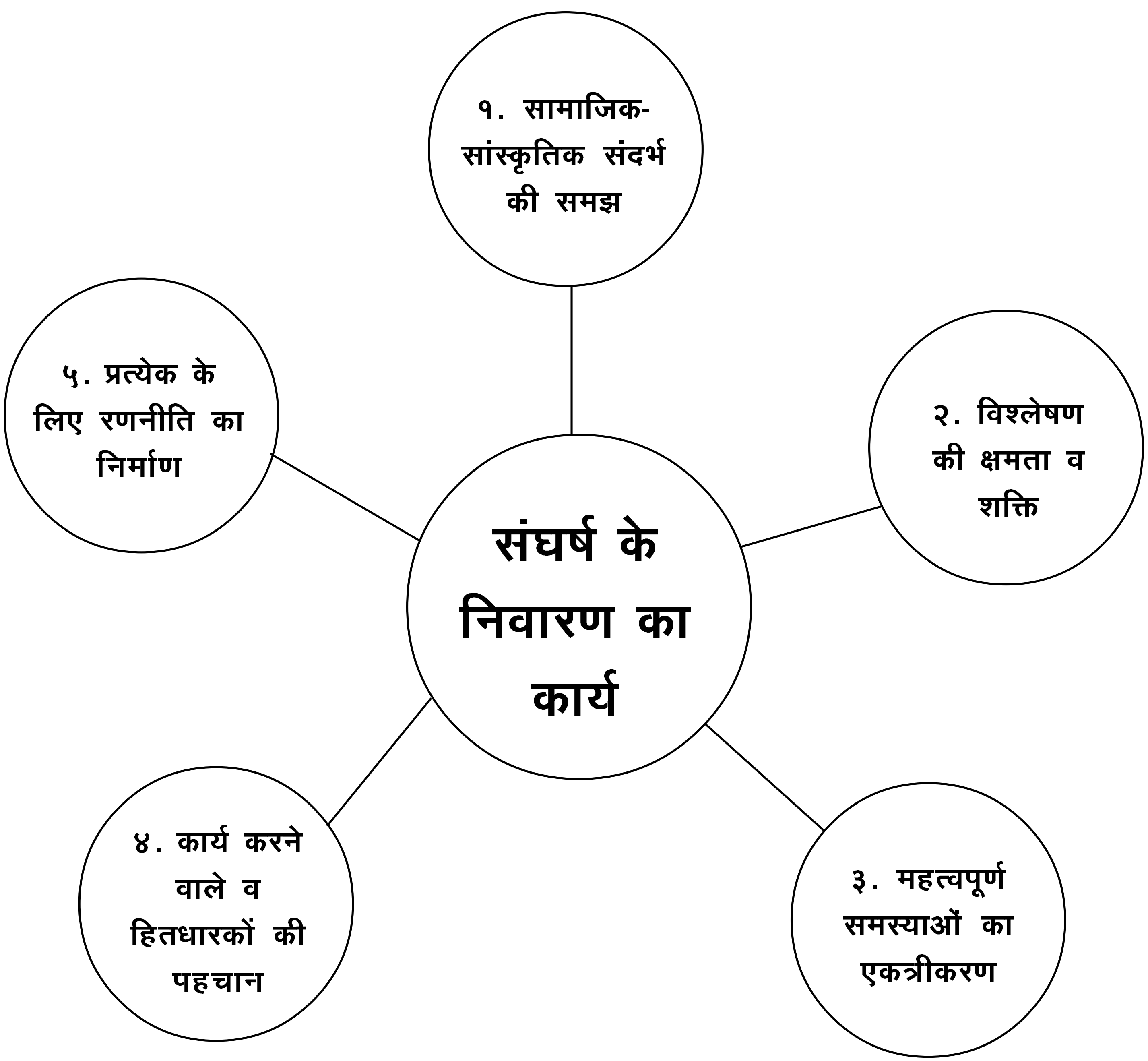

मान्यताओं व अन्य समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 'ऊर्जा घर' द्वारा निम्न कुछ मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया : (१) विविध समहों के बीच भावनाएं किसलिए तनावपूर्ण रहती हैं? (२) क्यों एक समुदाय यह मानता है कि उसकी शांति व समृद्धि पर बड़ा हमला करने के लिए दूसरा समुदाय तैयारी कर रहा है या इसके लिए सक्षम है? (३) किस तरह कोई समस्या बड़े संघर्ष का मुद्दा बन जाती है कि जिसकी अधिकांश लोग जांच नहीं करते और उसके पीछे की साजिश को नहीं समझते?

'ऊर्जा घर' द्वारा यह समझाया जाना चाहिए कि हमारे व उनके धर्म या संस्कृति के बीच फर्क के बारे में विविध ख्याल ही संघर्ष को

शेष पृष्ठ 28 पर

जन सुनवाई द्वारा सामाजिक अन्वेषण

दिल्ली की 'परिवर्तन' नामक संस्था द्वारा जो जन सुनवाई का प्रयोग शुरू किया गया और उसके द्वारा जन कार्यों का जो सामाजिक अन्वेषण किया गया उसकी प्रक्रिया का विवरण तथा उसके परिणामों का विवरण इस लेख में दिया गया है। यह प्रयोग बताता है कि जन सुनवाई के माध्यम से सरकारी प्रशासन को लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सकता है यह प्रयोग बताता है। इसके अलावा सूचना अधिकार का उपयोग करने से प्रशासन पारदर्शी बनता है, परंतु साथ-साथ प्रशासन को उत्तरदायी बनने को बाध्य भी होना पड़ता है। **श्री हेमन्तकुमार शाह** द्वारा इस लेख में यह समग्र प्रक्रिया दर्शाई गई है।

प्रस्तावना

देश भर में जन सुनवाई के नए प्रयोग द्वारा शासन-प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाने का प्रयास कुछ गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया गया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का यह एक नया तरीका है।

इस प्रयोग में देखा जा सकता है कि सूचना अधिकार कानून और उसका समान उपयोग कैसे परिणाम ला सकता है। सतत सतर्कता लोकतंत्र की कीमत है, परंतु यह कीमत चुकाने का मजबूत तरीका जन सुनवाई और सामाजिक अन्वेषण है, यह इस प्रयोग में देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि दिल्ली की 'परिवर्तन' संस्था नामक ने किस तरह यह प्रक्रिया शुरू की और उसके क्या परिणाम रहे।

प्रथम जन सुनवाई

दिल्ली महानगर पालिका द्वारा पूर्व के दो वित्तीय वर्षों के दौरान सुंदरनगरी तथा न्यू सीमापुरी क्षेत्रों में जो काम शुरू किए गए उनके बारे में जानकारी दिल्ली के सूचना अधिकार कानून के तहत अगस्त-२००२ में प्राप्त की गई। इन दोनों क्षेत्रों में निम्न आय रखने वाले लोगों की बस्तियां हैं। दोनों क्षेत्रों के बारे में ब्लॉकवार सूचना का वर्गीकरण किया गया। सुंदरनगरी में ११ व न्यू सीमापुरी में ७ ब्लॉक हैं। बाद के कुछ महीनों के दौरान 'परिवर्तन' के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक ब्लॉक का दौरा किया और गीत गाकर लोगों की सभाएं कीं। इन बैठकों में जो विवरण घोषित किया गया, प्रत्येक कार्य पर जो धन खर्च किया गया, उसके बारे में जान कर लोगों को आघात लगा। इन जन सभाओं में यह बात उजागर हुई कि अनेक कार्य अधूरे थे और किए गए कार्यों की गुणवत्ता भी बहुत खराब थी।

क्षेत्र के निवासियों के साथ ही काम के स्थलों का दौरा भी किया गया। कागज पर जो लिखा गया है और वास्तव में जो हुआ था, दोनों के बीच अंतर उजागर हुआ। ऐसी जन सभाओं के परिणामतः लोगों का रोष भड़क उठा और सभी की आवाज सामूहिक रूप से व्यक्त हो उसके लिए एक मंच की जरूरत पड़ी।

१४-१२-२००२ को 'परिवर्तन' द्वारा सुंदरनगरी में राजस्थान 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' (एमकेएसएस) और 'राष्ट्रीय लोक सूचना अधिकार अभियान' (एनसीपीआरआई) के साथ मिल कर एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें इस क्षेत्र के लगभग १००० लोग उपस्थित रहे।

इसके अलावा न्यायमूर्ति पी. बी. सावंत, अरुणा रॉय, प्रभाष जोशी, विनोद मेहता, भरत डोगरा, शेखर सिंह, अरुंधती रॉय और हर्ष मंदर जैसी मशहूर हस्तियां भी उपस्थित थीं। इस जन सुनवाई में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ कर सुनाया गया और स्थानीय निवासियों ने यह जाना कि जन सुनवाई उस करार के मुताबिक काम हुए हैं या नहीं। जो करार के मुताबिक काम हुए थे वे काम पूरे हुए या नहीं, यह भी लोगों को बताया गया।

जन सुनवाई मं ६८ कार्यों की जांच की गई और उनके बारे में चर्चा की गई। ६४ कार्यों में जो वित्तीय अनियमितताएं की गईं उनकी

सामाजिक जांच अर्थात् क्या?

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोग ही असली मालिक हैं। सरकार लोगों की सेवा करने के लिए है। किसी भी मालिक का यह प्राथमिक दायित्व है कि उसके नौकर से नियमित रूप से हिसाब मांगे और नौकर को उत्तरदायी बनाए। सामाजिक जांच (सोशल ऑडिट) अथवा सार्वजनिक जांच (पब्लिक ऑडिट) इस दिशा में एक कदम है।

सरकारी विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में अथवा विभाग द्वारा किस तरह धन का उपयोग किया जाता है, उस बारे जानकारी सूचना के अधिकार का उपयोग कर के मांगो। यह सूचना ऐसे दस्तावेज में होती है, जो वास्तविक परिस्थिति बताता है। यह एक सामाजिक जांच है अथवा तो सार्वजनिक जांच है। सरकार को उत्तरदायी बनाने में यह एक महत्वपूर्ण साधन है। सार्वजनिक जांच की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती। सार्वजनिक अन्वेषण द्वारा जो निष्कर्ष निकलें वे किसी कानून के तहत प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं। यद्यपि सार्वजनिक जांच राजनीतिक व्यवस्था पर सुधारात्मक कदम उठाने के लिए भारी दबाव बनाते हैं।

गणना की गई तो पता चला कि यह रकम १.३ करोड़ तक पहुंची गई। ७० लाख रुपए के ६४ कार्यों में तो यह पाया गया कि इन कार्यों का भौतिक रूप से अस्तित्व ही नहीं था।

जन सुनवाई ने यह भी दर्शाया कि किस हद तक अनियमितता हुई और साथ ही साथ यह प्रश्न उठाना कितना महत्वपूर्ण है। उसने यह भी दर्शाया कि धनाभाव के कारण नहीं बल्कि वित्तीय अनियमितताओं के कारण ही विकास नहीं होता है। जन सुनवाई का प्रभाव समाज के पांच वर्गों पर देखा गया व उनका विश्लेषण किया जा सकता है : स्थानीय प्रशासन, स्थानीय राजनेता, लोग, स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर और दिल्ली का प्रशासन।

जुन सुनवाई के प्रभाव

१. सिफारिशों का स्वीकार

'परिवर्तन' द्वारा दिल्ली सरकार और दिल्ली की महानगर पालिका को कार्यों का अमल इस तरह करने की सिफारिश की गई जिससे भ्रष्टाचार घटे। निम्नानुसार सिफारिशें महानगर पालिका ने स्वीकारी और इसके लिए आदेश जारी किए गए :

(१) कार्य का नाम, कॉन्ट्रैक्टर का नाम, स्वीकृत राशि, काम शुरू होने व पूर्ण होने की तारीख आदि के बारे में प्रत्येक कार्य के स्थल पर जानकारी दी जाए।

(२) तीन माह की अवधि के दौरान पूर्ण हुए सभी कार्यों की सूची सभी विभागीय कार्यालयों के सूचना पट्ट पर रखी जाए।

(३) जिस क्षेत्र में काम चालू हो, उसके कॉन्ट्रैक्ट की प्रति उस क्षेत्र के महानगर पालिका स्टोर की दीवारों पर लगाई जाए।

इतना ही नहीं मुख्य सचिव ने यह आदेश भी दिया कि दिल्ली सरकार के सभी विभागों को स्वयं ही जन सुनवाइयां करनी चाहिए। दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा आदेश भी जारी किया गया कि जिस विभाग का काम चलता हो, वह विभाग कार्य का विवरण उस क्षेत्र की महत्वपूर्ण दीवार पर लिखे। यद्यपि लोगों को इन आदेशों के बारे में जानकारी बहुत कम होती है। जहां भी लोगों की इसकी जानकारी है, वहां लोगों ने उसके अमल की मांग की है और अमल हुआ है।

२. स्थानीय लोगों पर प्रभाव

जन सुनवाई से पूर्व आयोजित जन सभाओं में लोगों ने सुना कि उनके क्षेत्रों में विकास के कार्यों पर इतने अधिक रुपए खर्च हुए हैं और वास्तव में काम बहुत कम हुए हैं। कुछ क्षेत्रों में तो लोग इन कार्यों को करवाने के लिए कई वर्षों से दर-दर भटकते थे। जब ये यह पता चला कि कार्य कागज पर हो गए हैं तो उन्हें भारी आघात लगा।

जो लोग विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक थे उन्हें तो राजनीति व्यर्थ लगने लगी। इस अभियान के फलस्वरूप समुदाय में अनेक तरह की चर्चाएं शुरू हुईं। लोगों ने फर्जी कार्यों या अधूरे कार्यों के बारे में भारी आघात व्यक्त किया। सभी ओर से यह मांग उठी कि सामूहिक रूप से उनकी आवाज उठाने, इसके लिए कोई मंच होना चाहिए। यहां 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' का अनुभव मजबूत और उपयोगी साबित हुआ। उसके अनुभव के आधार पर ही जन

जन सुनवाई अर्थात् क्या ?

सार्वजनिक जांच के निष्कर्षों का उपयोग कई तरह हो सकता है। समुदाय व हितधारकों की उपस्थिति में यानी जन सभा में उसके निष्कर्ष पेश हो सकते हैं और उन पर चर्चा हो सकती है। ऐसी जन सभाओं को या बैठकों को जन सुनवाई के रूप में पहचाना जाता है।

अधिकृत दस्तावेजों में जो जानकारियां हैं उन्हें वह इस सभा में लोगों के समक्ष पढ़ा जाता है और लोग सब के सामने यह जानकारी सही है या नहीं, यह बताते हैं। इस सभा की कार्यवाही सम्पूर्ण पारदर्शिता से चलती है। झूठ बोलने का मौका किसी को भी बहुत कम मिलता है, क्योंकि उस समय तमाम सम्बद्ध पक्ष हाजिर रहते हैं और यदि कोई व्यक्ति जरा भी झूठ बोले तो तुरंत उसका प्रतिकार होता है।

सुनवाई आयोजित करने का निश्चय किया गया।

जन सुनवाई में लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रत्येक करार पढ़ कर सुनाया गया और लोगों को करार के अमल के बारे में विवरण देने को कहा गया। लोगों और खासकर महिलाओं ने निर्भयता से विवरण दिया। स्थानीय विधायक के लोगों ने तीन बार इस कार्यवाही में विक्षेप डालने का प्रयास किया। यद्यपि इस प्रक्रिया को लोगों का इतना जबर्दस्त समर्थन था कि वे बाद में स्थल छोड़ कर चले गए। इसके बाद महिलाओं ने उन लोगों के प्रयास की कड़ी आलोचना की।

जन सुनवाई का सुंदरनगरी व सीमापुरी के लोगों के मानस पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा। उन्होंने पहली बार यह देखा कि सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सभी की उपस्थिति में ऐसे पारदर्शी तरीके से यह हो सकता है, यह भी देखा। जनसुनवाई से पहले लोग अधिशाषी अभियंता जैसे अधिकारियों व विधायक जैसे प्रतिनिधियों के समक्ष शायद ही कुछ बोलते थे, परंतु जन सुनवाई में यह चुप्पी टूट गई।

जन सुनवाई के बाद तुरंत ही सुंदरनगरी के प्रत्येक ब्लॉक में मोहल्ला समिति का गठन हुआ। इसमें प्रत्येक नुक्कड़ के प्रतिनिधि थे। कुछ माह तक इन समितियों ने अपने यहां होने वाले हरेक निर्माण पर देखरेख रखी। करार का विवरण घोषित न हो तब तक उन्होंने काम ही नहीं होने दिया। इस बारे में कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं:

(१) सड़क का फिर से निर्माण :

सुंदरनगरी में एफ-१ ब्लॉक में सड़क फिर से बनाई जानी थी। जनवरी-२००३ में काम शुरू हुआ। लोगों ने यह काम रोका और करार का विवरण मांगा। दूसरे दिन सहायक अभियंता मौके पर आए और करार का विवरण लोगों के समक्ष पढ़ कर सुनाया। लोगों को यह जानकारी दी गई कि ५८ पीपे डामर, दो ट्रक रेती और दो ट्रक पत्थर का उपयोग होगा। लोगों ने यह ध्यान में रखा कि वास्तव में उतनी सामग्री उपयोग हो। बाद में, सड़क बन गयी और उसकी गुणवत्ता सुंदरनगरी के अन्य सभी खड़कों के मुकाबले अच्छी है।

(२) छोटे रास्ते का निर्माण :

ई-५७ ब्लॉक में एक छोटा रास्ता बनाना था। लोग देख रहे थे कि लाल मोटी रेती की बजाए सामान्य रेत उपयोग की जा रही है। सीमेंट व रेती के बीच १:२ का अनुपात था। यद्यपि वास्तव में यह १:२० रखा जा रहा था। लोगों ने तुरंत काम रुकवाया। कॉन्ट्रैक्टर और जूनियर इंजीनियर को लोगों ने स्थल पर बुलाया। दोनों लोगों के समक्ष गिड़गिड़ाए और माफी मांगी तथा सभी सामग्री नए सिरे से उपयोग करने की तैयारी दिखाई, लेकिन लोगों ने जूनियर इंजीनियर को तत्काल निलंबित करने की मांग की। कार्यपालक इंजीनियर ने माफी मांगी और लोगों से जूनियर इंजीनियर को माफ करने का आग्रह किया। उसने यह भी आश्वासन दिया कि वे यह समग्र कार्य फिर से करवाएंगे, परंतु लोग झुके नहीं। इस पर जूनियर इंजीनियर लोगों के समक्ष रोने लगे और पैरों में गिरे। तब लोग पिघले। यदि उनका तबादला हो जाए तो वे उन्हें माफ करेंगे, ऐसा लोगों ने कहा। यह शर्त भी रखी गई कि करार की प्रति लोगों को दी जाए और लोगों की निगरानी में काम हो। बाद में सभी सामग्री बदली और लोगों की निगरानी में काम हुआ। जूनियर इंजीनियर का तबादला भी हुआ।

(३) रास्ते की मरम्मत :

सुंदरनगरी के ओ ब्लॉक में फरवरी-२००३ में छोटे रास्ते की

मरम्मत का काम शुरू हुआ था। लोगों को पता चला कि कुछ माह में गटर लाइन बिछाने का काम शुरू होने वाला है वे सड़क टूटने ही वाली हैं। यदि अभी रास्ता बनाया जाएगा तो टूट जाएगा ही और इस तरह जनता के धन का व्यय होगा। लोगों ने गटर लाइन बिछ जाने तक काम रुकवाया। कार्यपालक अभियंता को लोगों के दबाव के आगे झुकना पड़ा।

(४) गटरलाइन :

सुंदरनगरी के एम ब्लॉक में गटर लाइन बिछाई जा रही थी। लोगों ने देखा कि हलके प्रकार उपयोग की जा रही है। उन्होंने कामकाज रुकवाया और कॉन्ट्रैक्ट की प्रति मांगी। उसकी प्रति मिलने के बाद नई सामग्री डाली गई और कामकाज पूरा हुआ। दोनों क्षेत्रों के ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इस प्रक्रिया के दौरान यह भी पता चला कि कई कार्य खराब हुए हैं और लोगों के किसी काम के उपयोग नहीं हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि क्षेत्र में कौन से काम शुरू होने चाहिए, उसके बारे में लोगों ने जागरूकता दिखाई और वे निर्णय प्रक्रिया में भागीदार हुए। उन्होंने उन कार्यो पर निगरानी भी रखी। पैसे के उचित उपयोग के संदर्भ में यह प्रक्रिया दूरगामी परिणाम लाएगी।

३. स्थानीय राजनेताओं पर प्रभाव :

जब 'परिवर्तन' द्वारा नुक्कड़ों में सभाएं आयोजित की जाती थीं तब स्थानीय विधायक ने समांतर सभाएं करने की शुरूआत की। उन सभाओं में उन्होंने 'परिवर्तन' की कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि 'परिवर्तन' द्वारा उनसे ३ लाख रुपए की मांग की गई थी और जब ये रुपए नहीं दिए गए, तो उसने उनकी छवि बिगाड़ने का प्रयास शरू कर दिया। यह बिल्कुल झूठ था। 'परिवर्तन' का कोई व्यक्ति कभी भी उनसे रूबरू नहीं मिला था। इसके अतिरिक्त उनकी या उनके दल की सभाओं में 'परिवर्तन' द्वारा कभी आलोचना भी नहीं की गई थी। धीरे-धीरे ये आरोप धमकी का रूप लेते गए। कुछ लोगों ने सूचना दी कि 'परिवर्तन' के कार्यकर्ताओं का अपहरण या पुलिस द्वारा गलत आरोप लगा कर उन्हें परेशान करने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन अस्थानीय लोगों पर दबाव डाला गया जो खुलेआम 'परिवर्तन' के समर्थन में आए थे, यह भी कहा गया कि वे 'परिवर्तन' को समर्थन नहीं दे। कुछ स्थानीय लोगों ने 'परिवर्तन' को जनसभाएं आयोजित करने में मदद की। उन पर भी दबाव आया और जनसभाएं रद्द करने को कहा गया। कई सभाएं रद्द भी हुईं।

जन सुनवाई के दो दिन पहले 'परिवर्तन' के कार्यकर्ता स्थानीय विधायक को निमंत्रण देने गए। वे पहली बार उनसे रूबरू मिले थे। विधायक ने तत्काल हंगामा शुरू कर दिया और कहा कि 'परिवर्तन' के कार्यकर्ता तो दलाल हैं जो बिजली विभाग और खाद्य विभाग आदि के अधिकारियों से रुपए वसूलते हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि 'परिवर्तन' को मिलने वाले पैसे कहां से आते हैं, उन्होंने चुनौती दी कि वे उनके क्षेत्र में जन सुनवाई नहीं होने देंगे। 'परिवर्तन' के कार्यकर्ताओं ने उन्हें शांति से कहा कि जन सुनवाई तो होगी ही, परंतु यदि उन्हें 'परिवर्तन' के कामकाज या पैसों के बारे में आपत्ति हो तो वे किसी भी तरह की सार्वजनिक जांच के लिए तैयार हैं। अंततः वे जन सुनवाई में उपस्थित रहने को सहमत हुए।

जन सुनवाई में वे अपने करीब ४० लोगों के साथ आए। उन्होंने तीन बार विक्षेप डालने का प्रयास किया, लेकिन लोगों का समर्थन इतना जबर्दस्त था कि उन्होंने तीसरी बार विक्षेप डालने का प्रयास किया तो सभी उपस्थित लोग खड़े हो गए। कोई अप्रिय घटना घटे इससे पहले ही विधायक व उनके समर्थक स्थल छोड़ कर चले गए। दो महीने बाद विधायक के कार्यालय से 'परिवर्तन' को फोन आया और कहा कि विधायक 'परिवर्तन' के कार्यकर्ताओं के साथ भोजन करना चाहते हैं। 'परिवर्तन' ने विनम्रता से इनकार कर दिया, परंतु दूसरे दिन उनके कार्यालय में उनसे मिलने पर सहमति दी गई। विधायक के सहायक ने कहा कि मात्र दो कार्यकर्ता ही आएं क्योंकि वे गोपनीय बात करना चाहते हैं।

'परिवर्तन' द्वारा आग्रह किया गया कि स्थानीय समुदाय के कुछ लोगों सहित दस लोग तो आएंगे ही जिससे बातचीत खुली व पारदर्शी बने। अंततः दस जने शाम छह बजे उनके कार्यालय में पहुंचे। वे वहां दो हाथ जोड़ कर खड़े थे और कह रहे थे कि

जन सुनवाई के निष्कर्ष

'परिवर्तन' द्वारा की गई प्रथम जन सुनवाई में इन दोनों क्षेत्रों के निर्माणों में अनियमितताओं की उजागर हुई जानकारियां इस प्रकार हैं:

(१) हैण्ड पम्प :
१० करारों के तहत इलेक्ट्रिक मोटरों के साथ २९ हैण्ड पम्प लगाए जाने थे। हालांकि निवासियों ने कहा कि मात्र १४ हैण्ड पम्प ही लगाए गए थे। शेष हैण्डपम्प नहीं लगाए गए। इसके कारण ७,८५,९६५ रुपए का नुकसान आंका गया।

(२) नया रास्ता :
जब भी नया रास्ता बनाया जाता है तब रास्ते के नीचे की गटरों पर लोहे का नया ग्रेटिंग भी रखा जाता है। ऐसे २५३ ग्रेटिंग के लिए भुगतान हुआ था। उसका वजन २७,५५७ किलोग्राम था।

(३) गटरों को तोड़ने का काम :
जब जब भी नया रास्ता बनाया जाता है तब रास्ते के दोनों तरफ की गटरें तोड़ी जाती हैं और नए सिरे से बनाई जाती हैं। हालांकि ऐसा शायद ही किया जाता है। या तो कोई काम नहीं किया जाता या तो मौजूदा गटरों का स्तर एक ईंट ऊंचा लाया जाता है।

कुल ३५ मामले जांचे गए और उनमें पाया गया कि दिल्ली महानगर पालिका ने उन तमाम के लिए धन का भुगतान कर दिया था। हालांकि किसी भी मामले में नई गटर नहीं बनाई गई थी। १९ मामलों में गटर का स्तर एक ईंट ऊंचा लाया गया था और शेष मामलों में कोई काम नहीं किया गया था। इसके कारण हुआ नुकसान १३,८५,१७५ रुपए आंका गया।

(४) रास्ते पर सीमेंट कंक्रीट का स्तर :
बिलों के अनुसार रास्ते में सीमेंट कंक्रीट का स्तर १० से.मी. होना चाहिए। हालांकि अधिकांश मामलों में यह मोटाई ५ से.मी. ही थी। रास्ता खोद कर उसे देखा गया। करारों में यह बात सबसे ज्यादा खर्चीली होती है। इसके कारण ८,३३,९३५ रुपए का नुकसान आंका गया।

(५) कागज पर रास्ते :
कुछ रास्ते तो ऐसे थे कि जो मात्र कागज पर ही अस्तित्व में थे। उन क्षेत्रों के लोगों ने कहा कि ये रास्ते बनाए ही नहीं गए। कुछ मामलों में हुए कार्य की तुलना में अधिक कार्य कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दर्शाया गया और इसके कारण १२,९२,३९८ रुपए का नुकसान आंका गया।

(६) दो बार भुगतान :
दो मामलों में पाया गया कि एक ही काम के लिए दो बार रुपयों का भुगतान किया गया था।

(७) पत्थर के स्तर :
रास्ता बनाते वक्त सबसे नीचे पत्थर के दो स्तर बनााने चाहिए। उसके बदले मात्र एक ही स्तर ८ में से ६ रास्ते में बनाया गया। दूसरे दो मामलों में तो पत्थर डाले ही नहीं गए।

'परिवर्तन' ने उनका राजनीतिक कैरियर धूल में मिला दिया है। चुनाव मात्र छह माह ही दूर थे। उन्होंने 'परिवर्तन' को आगामी छह माह तक क्षेत्र छोड़ देने को कहा। उन्होंने कहा कि यदि वे चुनाव जीत जाएंगे तो 'परिवर्तन' जो चाहेगी वही कदम उठाने को तैयार रहेगें।

'परिवर्तन' के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने कभी भी उनकी या उनके दल की निंदा नहीं की है। लोगों की मात्र एक ही मांग है कि कॉन्ट्रैक्ट की प्रति सार्वजनिक करनी चाहिए और कोई भी निर्माण शुरू हो उससे पहले उसका लोगों में वितरण होना चाहिए। 'परिवर्तन' के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि वे यह मांग स्वीकारेंगे, तो

‘परिवर्तन’ स्वयं सरेआम उनकी प्रशंसा करेंगे।

विधायक ने यह मांग स्वीकारने से इनकार कर दिया। उनके अनुसार २.५ करोड़ का काम सुंदरनगरी में बकाया पड़ा है और कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए तैयार नहीं है। जहां भी कॉन्ट्रैक्टर काम करने गए वहां लोगों ने उन्हें रोका और पहले कॉन्ट्रैक्ट की प्रति मांगी। उन्होंने कहा कि काम पूरा न हो तब तक कॉन्टैक्टर कॉन्ट्रैक्ट की प्रति नहीं देंगे क्योंकि इससे उनके मुनाफे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने यह बात स्वीकारी कि कॉन्ट्रैक्टर भ्रष्ट हैं, परंतु यदि इस तरह काम रुकवाया जाएगा तो सभी धन खर्च हुए बिना पड़ा रहेगा और वापस चला जाएगा।

यह स्थिति ‘परिवर्तन’ और स्थानीय लोगों को स्वीकार्य नहीं थी। उनके समक्ष यह स्पष्ट किया गया कि यदि कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकमेल करना चाहते हों या उन्हें भ्रष्टाचार नहीं करने दिया जाएगा तो काम नहीं होगा, तो भले ही काम न हो।

फिर एक माह तक सुंदरनगरी के लोगों ने लगभग सभी काम रुकवा दिए। अंततः मार्च के अंतिम सप्ताह में विधायक के भाई ‘परिवर्तन’ के कार्यालय आए और कॉन्ट्रैक्ट्स घोषित करने पर सहमत हुए, परंतु उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट का विवरण पढ़ कर सुनाया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट की प्रतियां ‘परिवर्तन’ के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि विधायक के आदमी लोगों को देंगे। ‘परिवर्तन’ के कार्यकर्ताओं को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। इस बीच दिल्ली राज्य सरकार और महानगर पालिका ने आदेश जारी किया कि किसी भी तरह का निर्माण शुरू करने से पहले उसके कॉन्ट्रैक्ट की प्रतियां सार्वजनिक की जाएंगी।

४. स्थानीय अधिकारियों पर असर

महानगर पालिका के स्थानीय विभागीय कार्यालय के अभियंताओं ने सूचनाा अधिकार अधिनियम के तहत सूचना देने में कई रोड़े डाले। लगभग चार माह तक सतत प्रयास किए गए तब सूचना मिली। यद्यपि वे हमेशा विनम्र भाव से बात करते थे और मौखिक रूप से सहयोग देते थे, परंतु व्यवहार में जन सुनवाई से पहले उनकी ओर से शायद ही की सहयोग दिया जाता था।

जन सुनवाई के कुछ दिन पहले ‘परिवर्तन’ द्वारा विविध कार्यों में पाई गई खामियों के बारे में अभियंताओं के अभिप्राय प्राप्त करने का सतत प्रयास किया गया। उन्होंने लगातार यह वचन दिया कि वे कार्यों का संयुक्त निरीक्षण करेंगे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जन सुनवाई के दौरान कार्यपालक अभियंता ने आरोप लगाया कि ‘परिवर्तन’ उनके विभाग के विरुद्ध गलत आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि ‘परिवर्तन’ द्वारा उन्हें कभी भी उनसे कार्यों में व्याप्त खामियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया और जनता के बीच हंगामा खड़ा कर रही है। यद्यपि जन सुनवाई के पिछले चरण में उन्होंने मात्र इतना ही कहा कि स्थल के दौरे के बिना वे कुछ नहीं कहेंगे।

जन सुनवाई के बाद अनेक स्थलों की मुलाकात ‘परिवर्तन’ के कार्यकर्ताओं और दिल्ली महानगर पालिका के अभियंताओं ने संयुक्त रूप से की। अभियंताओं ने इस जांच में सम्पूर्ण सहयोग दिया। हालांकि उन्होंने अधिकांश खामियों के बारे में बेफिक्री से खुलासा किया।

जन सुनवाई के बाद लोगों के प्रति उनके रवैये में उल्लेखनीय बदलाव हुआ। अधिकारियों के साथ उनके व्यवहार में काफी प्रतिभावात्मक थे और वे सौजन्यपूर्ण व्यवहार करने लगे थे। अब जब सुंदरनगरी या न्यू सीमापुरी का कोई व्यक्ति उनके समक्ष बात करने जाता था, तो वे उसकी शिकायत सुनते थे और उसके निवारण का प्रयास करते थे। लोगों को जब जरूरत पड़ी, तब और लोगों ने जब मांग की, तब कार्यपालक अभियंता ने स्वयं स्थल का दौरा किया। जब भी लोगों ने कोई काम रुकवाया और करार का विवरण मांगा, तब उन्होंने स्थल पर उनके अधिकारियों को भेजा और करार के तमाम विवरण आम जनता को पढ़ कर सुनाए।

जन सुनवाई के बाद अधिकारियों को यह बात समझ में आई कि लोग कभी भी दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं और धन का गबन करना उनके लिए आसान नहीं होगा। जन सुनवाई के बाद जो परिणाम आएंगे, उससे अधिकारी घबराते थे कारण कि सामाजिक जांच की रिपोर्ट सरकार को सुपुर्द हो गई होती थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश

सामाजिक जांच के दौरान जो खामियां उजागर हुईं उनकी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, मनपा आयुक्त, प्रशासन सुधार सचिव तथा दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा को भेजी गई थी फिर भी उनके द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए। मई-२००४ में 'परिवर्तन' द्वारा की गई एक अरजी के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को भ्रष्टाचार के उन तमाम आरोपों में जांच करने तथा छह माह में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि एसीपी से नीचे स्तर के किसी अधिकारी द्वारा जांच नहीं होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान दिल्ली महानगर पालिका ने कहा कि उन्होंने जांच की ही है और ये तमाम आरोप बेबुनियाद पाए गए हैं, परंतु अदालत ने कहा कि चोर स्वयं ही जांच करे तो कैसे चलेगा?

नगर सेवक द्वारा पारदर्शिता के लिए प्रयास

जून के प्रथम सप्ताह में सीमापुरी वार्ड के नगर सेवक ने हमसे सम्पर्क किया और इस क्षेत्र के तमाम निर्माणों में सम्पूर्ण पारदर्शिता लाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता को तमाम अनुमान और स्केच की प्रति कोई भी काम शुरू करने से पहले 'परिवर्तन' को देने का निर्देश दिया है। काम पूरा होने के बाद लोग और 'परिवर्तन' काम की जांच करें, इसके लिए भी उन्होंने पेशकश की। यदि किसी काम में आपत्ति हो तो तत्काल ही उसे सुधारा जाएगा।

उन्होंने सूचना दी कि जन सुनवाई की समग्र प्रक्रिया और उच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव इस क्षेत्र के कॉन्ट्रैक्टरों और अभियंताओं पर पड़ा है। उनके अनुसार अदालत के आदेश के बाद अभियंता और कॉन्ट्रैक्टर इससे घबरा रहे हैं कि उनके कार्य का पोस्टमार्टम जन सुनवाई के रूप में ही लोगों द्वारा हो। पोस्टमार्टम से भी काम में सुधार होने की संभावना कम होती है। इसलिए नगर सेवक ने यह कहा कि लोग और 'परिवर्तन' काम हो जाने पर उसमें खामियां ढूंढें, उन्होंने यह कहा कि वे यह देखेंगे कि इस तरह लोगों की ओर से उठाई गई आपत्तियों का समाधान नहीं हो तब तक किसी काम का वित्तीय भुगतान महानगर पालिका द्वारा न किया जाए।

स्रोतः वेबसाइट : www.parivartan.com

पृष्ठ 8 का शेष भाग

क्या वह सर्वमान्य कार्यसूची बन सकती है?

सुश्री जाह्नवी अंधारिया

जब भी विपत्ति आती है तो राहत का छोटा कदम भी जरूरी होता है और स्वागतयोग्य होता है। इसलिए अब अधिक गंभीर व सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो आर्थिक समस्याओं को तो शामिल कर ही ले, परंतु सामाजिक सवालों को भी शामिल कर ले। जो केन्द्र २००२ के दंगों के बाद खड़े हुए थे वे महिलाओं के लिए जीवन निर्वाह का विकल्प देने वाले केन्द्र बने थे और वे परस्पर आदान-प्रदान करते थे। सब कुछ परस्पर सम्बंधित है और हम हमारे कार्यों को अलग-अलग नहीं कर सकते। महिलाएं स्वयं अपने निषेधों से बाहर आएं, यह जरूरी है। चुनौतियां इस प्रकार हैं:

- जीवन निर्वाह में सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास और महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में लिया जाए
- मुस्लिम सभी सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास व महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में लें।
- सभी मुस्लिम समान स्तर के नहीं हैं। उनमें भी जातिगत अंतर और संघर्ष हैं।

श्री मनीष तेवानी

पीड़ितों के साथ-साथ अन्य शहरी गरीब भी बर्दाश्त कर रहे हैं। वे वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों का शिकार बने हैं। बीमा व लघु ऋण क्षेत्र में ज्यादा कुछ नहीं कर सके हैं। लोगों तक सेवाएं पहुंचाना जरूरी है। राज्य द्वारा जो लाभ दिए जाते हैं वे लोगों तक पहुंचने चाहिए। बैंकों के ऋण का उपयोग गरीबों के लिए किस तरह हो, यह सोचना चाहिए। निजी क्षेत्र के साथ मिल कर काम करना भी लाभदायी हो सकता है। जिन मुस्लिम क्षेत्रों में बुनियादी व मूलभूत सेवाएं नहीं दी जाती हों वहां निजी क्षेत्र का इसके लिए सम्पर्क किया जा सकता है।

गतिविधियाँ

बाल मजदूरी पर प्रतिबंध और अभियान

केन्द्र सरकार ने १०-१०-२००६ से बाल मजदूरी प्रतिबंध व नियमन अधिनियम-१९८६ के तहत घरेलू काम, रेस्टोरेंटों और चाय की केटलियों सहित कई जगहों पर बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया है। सभ्य समाज, मजदूर मंडल और स्वैच्छिक संगठनों की यह एक उल्लेखनीय जीत है कि जो बाल मजदूरी पर पूर्ण प्रतिबंध चाहते थे। अब यह जरूरी है कि इस सरकारी निर्णय पर अमल हो।

'बचपन बचाओ आंदोलन' और अन्य अनेक संगठनों ने ६ अक्टूबर से 'काम से स्कूल में' नामक एक माह लम्बे अभियान की शुरूआत इस मौके पर की है। घर-घर घूम कर यह अभियान चलाया जाएगा और दिल्ली से मुंबई एक 'मुक्ति कारवां' चलाया जाएगा। एक वैन में लोक कलाकार प्रवास करेंगे और कई गांवों, नगरों और बस्तियों में जाकर बाल मजदूरी पर प्रतिबंध के बारे में जागृति फैलाएंगे।

१० अक्टूबर से बाल मजदूरी के विरुद्ध शिकायतें एकत्र करने का काम भी किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों का सहयोग किया जाएगा, परंतु उन्हें बाल मजदूरों को मुक्त करने और उनका पुनर्वास करने के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली में इस अभियान की शुरूआत ६ अक्टूबर २००६ को वसंत विहार के पीवीआर सिनेमा से भूतपूर्व बाल मजदूरों द्वारा ही की जाएगी। उस समय फिल्म निर्देशक महेश भट्ट और पूर्व मिस इंडिया गुल पनाग हाजिर रहेंगे।

ग्रामीण महिलाओं को 'कच्छ कौशल्या अवॉर्ड'

समाज के रुढ़िवादी ढांचे से बाहर जाकर अपने कौशल को निखारने और अन्य के लिए उपयोगी बनाने का प्रयास करने वाली ग्रामीण नारियों को 'कच्छ कौशल्या अवॉर्ड' से सम्मानित कर कच्छ महिला संगठन ने नई पहल की है। आणंदसर क्षेत्र में छह दशकों से दाई का काम करने वाली सरीफाबाई इशाक बाफण (७३), छोटी अरल में सामूहिक जैविक खेती करने वाली हलीमा ओसमाण फकीर और परम्परागत रिवाजों की जंजीर तोड़ कर महिला अदाकार के रूप में सक्रिय बालूबेन के. चौहाण (भचाऊ) को 'कच्छ कौशल्या अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है। कौशल्या अवॉर्ड में १०,००० रुपए, ट्रॉफी और प्रमाण-पत्र शामिल है।

संगठन द्वारा हर वर्ष अवॉर्ड दिया जाएगा। धाणेटी के परमामा का अबडासा में ४०० से अधिक महिलाओं को एम्ब्रोइडरी की तालीम देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीवनसिद्धि अवॉर्ड से सम्मान किया गया। ज्यूरी कमेटी के सदस्य दिवंगत पत्रकार महीमभाई पांधी की स्मृति में बिदडा की उत्साही सुश्री उषा संजोट (शिक्षा) को विशेष पुरस्कार दिया गया।

खुले विचारों और खुलेपन का माहौल जहां अभी तक नहीं पहुंचा है, ऐसे पुरुष प्रधान ग्रामीण समाज में नई परम्परा के साथ काम कर रही वीरांगनाओं के प्रयत्न को और उन्हें खोज कर अवॉर्ड रूपी प्रोत्साहन तथा प्रेरणा देने वाले संगठन के पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित वक्ताओं ने प्रशंसा की।

जलापूर्ति बोर्ड के वसंतभाई गढवी ने मुख्य अतिथि के रूप में समाज जीवन में परिवर्तन लाने में स्वैच्छिक संगठनों की उपयोगी भूमिका की चर्चा करते हुए कहा कि कानून से व्यवस्था बदलने जाएं तो अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आते। अपने अनुभवों को सुनाते हुए गढ़वी ने कहा कि कच्छ की महिलाओं की आवाज अब सुनाई देने लगी है। इस क्षेत्र में 'केएमवीएस' और 'अभियान' के योगदान की उन्होंने प्रशंसा की।

वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट ने असुविधा के बीच भी समाज के लिए काम करने वाली महिलाओं को प्रेरक बताते हुए कहा कि उनकी

श्रद्धांजलि

प्रो. देवव्रत पाठक

गुजरात के वरिष्ठ राजनीतिशास्त्री, गुजरात विश्वविद्यालय के राजनीतिशास्त्र विभाग के पूर्व प्रमुख और समाजविद्या भवन के निदेशक, सौराष्ट्र के पूर्व उप कुलपित, शांति अनुसंधान केन्द्र (गुजरात विद्यापीठ) के मानद् प्राध्यापक और 'नागरिक स्वतंत्रता संगठन' (पीयूसीएल) की गुजरात इकाई के अध्यक्ष प्रो. देवव्रत पाठक का ८ सितम्बर को निधन हुआ।

पिछले दो-ढाई दशकों के दौरान एक प्रखर बुद्धिजीवी से जनजीवन के कुछ धारक व संगोपक मूल्यों के प्रति गहरी निष्ठा रखने वाले एक कर्मशील के रूप में पाठक साहब का रूपांतर हुआ। मानवाधिकारों व नागरिक स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले पीयूसीएल के वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गुजरात इकाई के अध्यक्ष थे। समाज के वंचित वर्गों तथा विभागों जैसे दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों आदि के मानवाधिकारों के लिए वे सतत संघर्षरत् रहे। विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के वाजिब अधिकारों व हितों के रक्षण के लिए वे हमेशा तत्पर रहे।

दिवंगत पाठक साहब राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय तथा गुजरात की विविध संस्थाओं के साथ निकट से जुड़े हुए थे। अमरीका में अध्ययनकाल के दौरान 'हिन्दुस्तान स्टूडेंट्स एसोसिएशन' के अध्यक्ष, ऑल इंडिया पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, इंडियन सोसायटी ऑफ गांधियन स्टडीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया सेव एज्यूकेशन स्टडीज के वरिष्ठ नागरिक क्लब के अध्यक्ष, मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी, नागरिक संगठन, गुजरात केळवणी परिषद्, गुजरात राजनीतिशास्त्र मंडल के आद्य अध्यक्ष, सुकेतु-केडी स्टडी सर्किल के संस्थापक अध्यक्ष-इन सभी संस्थाओं को उन्होंने सतत प्रेरणा और मार्गदर्शन दिया।

गुजरात में साम्प्रदायिक हिंसाचार के बाद समाज में साम्प्रदायिक सौहार्द्र पुनः स्थापित करने के लिए वे सतत कार्यशील थे। 'केयर' संस्था की ओर से गुजरात में शुरू किए गए 'हार्मनी प्रोजेक्ट' के वे अग्रणी थे। गुजरात में मानवाधिकार आयोग की स्थापना तथा सूचना-अधिकार के अभियान में वे अग्रणी थे और इसके लिए राष्ट्रीय तथा गुजरात स्तर पर हमेशा वे आगे रहते थे।

वर्षों तक 'बुद्धि प्रकाश' और अंत में 'अखंड आनंद' में राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में नियमित लेख लिखते रहे। इंदूलाल याज्ञिक की 'आत्मकथा' का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। हाल में पाठक साहब 'गांधीजीना अक्षरदेह' ग्रंथों का आधार गांधीजी के आगे की आत्मकथा तैयार करने के भगीरथ कार्य में व्यस्त थे।

नागरिक स्वतंत्रताओं, लोकतांत्रिक-उदारवाद-मानव मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता, रेशनलिज्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध पाठक का व्यक्तित्व बहुआयामी था। शास्त्रीय संगीत के अच्छे जानकार तथा कद्रदान थे। 'भार वगनुं व्यक्तित्व' वाले पाठक साहब का स्वभाव हसमुख तथा मिलनसार था। ऐसा बहुमुखी व्यक्तित्व और विशाल चाहक वर्ग के धनी पाठक साहब के दुःखद निधन से गुजरात के सार्वजनिक जीवन में अपूरणीय क्षति हुई है।

सहजता, समझ और परिपक्वता छू जाने वाली है। शहरी महिलाओं में ये बातें देखने को नहीं मिलतीं। उन्होंने पुरस्कार विजेता महिलाओं को सलाम करते हुए कहा कि जो परंपरा तोड़े उसे सफलता मिलती है। शीलाबेन ने स्व. महीमभाई को याद कर कहा कि वे सूक्ष्म निरीक्षण करने वाले उम्दा पत्रकार थे।

निर्णायक समिति की सदस्य सुश्री चंदाबेन श्रॉफ ने सम्मानित महिलाओं के कौशल का उपयोग समाज के लिए हो और कच्छ दुनिया में अधिक मशहूर बने, ऐसी शुभकामनाएं दीं। जानी-मानी जनसंख्या विशेषज्ञ डॉ. लीलाबेन विसारिया ने प्रसूति के समय माता मृत्यु की दर घटाने के लिए गांवों में जारी दाई प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के सुझाव को अयोग्य बताते हुए कहा कि वास्तव में दाई महिलाओं को अधिक प्रशिक्षण देकर प्रसूति के समय के जोखिमों को कम करने पर विचार करना चाहिए। 'कच्छ मित्र' के

श्रद्धांजलि

श्री फूलचंद पुरवार

सर्जन यानी क्रिएटिविटी-कुछ नया अथवा तो रचनात्मक करना। प्रत्येक व्यक्ति एक उत्तम सर्जक है। सवाल है सामने वाले में सर्जनात्मकता समझने या उसकी कद्र करने का सहूर और रुचि होनी चाहिए। सामान्यतः मध्यम व उच्च वर्ग के बच्चों के लिए तो सर्जनात्मकता को पोषित करने व खिलाने के लिए कई अवसर होते हैं, परंतु वंचित बच्चों के लिए ऐसे अवसर बनाने और उनकी शक्तियों को बाहर लाना कठिन कार्य है, क्योंकि अन्य सभी मानदंडों 'उत्तम शिक्षा - उत्तम प्रतिशत' से वे दुर्भाग्य से बहुत दूर होते हैं। इसीलिए उनकी सच्ची परीक्षा (जिसे समाज आजकल बहुत सम्मान देता है) नहीं होती है और इसीलिए उनका कौशल्य या व्यक्तित्व हम तक नहीं पहुंचता।

फूलचंदभाई पुरवार आजन्म शिक्षक थे और वह भी संगीत के। उन्होंने वंचित बच्चों के साथ काम करने की शुरूआत की। ३० वर्ष पहले 'असाग' संस्था में रह कर संकलितनगर में की जहां शहर की २६ झोंपड़पट्टियों से बाढ़ के कारण स्थानांतरित हुए समुदाय के लिए २२०० मकानों की बड़ी बस्ती खड़ी की गई थी। बिल्कुल कमजोर वर्गों के लोगों के बच्चे अपनी सर्जनात्मकता को किस तरह विकसित कर सकें, इस तरफ लक्ष्य केन्द्रित किया गया। वहां के विविध वार्ड और एक सार्वजनिक केन्द्र में यह प्रवृत्ति चलती थी। बहुत कम खर्च में मनोरंजन के साथ सर्जन को खिलाने का मौका मिलता। ये बच्चे आने वाले कल के नागरिक हैं और सच्ची शिक्षा तो यही है और यही उन्हें आगे बढ़ा सकता है, ऐसा फूलचंदभाई मानते थे। इस तरह स्वयंसेवक/कार्यकर्ता तैयार करते आज तीस वर्ष में ये बच्चे स्वयं अभिभावक बन गए होंगे, परंतु एक अलग ही पालन के साथ - इसीलिए उनका व्यक्तित्व अलग तरह का बना - यह परिवर्तन हम निश्चित ही देख सकेंगे।

फूलचंदभाई ने ऐसे बच्चों के लिए बचत बैंक - पुस्ताकालय - आनंद मेला-प्रेरणा प्रवास - प्रशिक्षण कार्यक्रम - ग्रीटिंग कार्ड बनाना - कैलेंडर - बच्चों के बीच संवाद - अस्पताल में सर्जन (ऑर्थोपैडिक वार्ड) और अंत में आवारा बच्चों के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर भी 'सर्जन' केन्द्र शुरू किया। आज रेलवे स्टेशन के दूसरे छोर पर ऐसे बच्चों के लिए रहने-खाने व अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था के साथ चाइल्ड लाइन काम कर रही है। एक सुंदर विचार परिणाम दे रहा है। बच्चों के विविध प्रश्नों के बारे में कई व्यक्ति/संस्थाएं बहुत सक्रिय हैं। प्रत्येक को अपना निश्चित लक्ष्य है। मौका मिलने पर सभी साथ मिल कर बाल अधिकारों के अनुसंधान में काम करने का अवसर का लाभ उठाते और राइट बेस्ड एप्रोच को स्वीकारते, परंतु मूल जीव रचना का संघर्ष बाहर नहीं दिखता, परंतु मात्र इन्हीं बालकों से घिरे रहना उनका संघर्ष-मंत्र था।

अपने काम से और श्रद्धा व विचार की स्पष्टता के कारण उन्होंने सामाजिक आदर प्राप्त किया। विविध पुरस्कारों से सम्मानित होते रहे। उम्र साथ नहीं देती लगी, तब बहुत दुःखी होते और चाहते थे कि यह भार कोई हल्का करे। काम करते हुए अंत तक उसे देखते-सुनते रहना चाहते थे। यह स्वाभाविक रूप से ही कहा जा सकता है कि बच्चों के क्षेत्र में लगातार और गहराईपूर्वक काम करने वाले बहुत कम लोगों में उनका स्थान अग्रणी है।

सम्पादक कीर्तिभाई खत्री ने कच्छ महिला विकास संगठन को सही अर्थों में गांवों तक पहुंचने वाला संगठन बताते हुए कहा कि संगठन की बुनियाद में रही सुषमाबेन ने कई ग्रामीण नेतृत्व पैदा किए हैं और यह एक खूबी है।

संस्था की संस्थापक और मुखिया सुश्री सुषमा आयंगर ने कहा कि नारी में से विशिष्ट कौशल्य बाहर निकले, ब नागरिकता में परिपक्वता आती है। केएमवीएस की स्थापना के १७ वर्ष बाद पुरस्कार देने की शुरू हुई प्रक्रिया की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपना अधिकार नहीं छोड़ देने के साथ कच्छ की नारी अब दूसरों को अधिकार दिलाने की कुशलता दिखाने लगी है, यही समाज के लिए शुभ संकेत है। पुरस्कार विजेता महिलाओं ने अपने संघर्ष को बयान करते हुए कहा कि इस सम्मान से उन्हें काम करने का नया बल मिलेगा।

ग्राम विकास पुरस्कार २००६ और ग्राम संगठन पुरस्कार २००६ का नामांकन

'डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर' द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में मिसाल रूपी कार्य करने वाले और जिन्हें पहले कोई महत्वपूर्ण पुरस्कार न मिला हो ऐसी संस्था और व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास पुरस्कार योजना का आयोजन किया जाता है। २००५ से ग्रामीण संगठनों के उम्दा कार्य को सराहने व दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बनाने के लिए ग्राम संगठन पुरस्कार की योजना भी तय की जाती है।

२००६ के लिए ग्राम विकास पुरस्कार और ग्राम संगठन पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं। आपकी जानी-मानी योग्य संस्था/व्यक्तियों के कार्यों के बारे में विवरण ग्राम विकास पुरस्कार-२००६ के सूचना पत्रक में भेज देने का आग्रह किया जाता है। नामांकन के सूचना पत्रक १० अक्टूबर २००६ तक भेज दें।

(१) ग्राम विकास पुरस्कार

ग्राम विकास पुरस्कार के अंतर्तग चयनित पुरस्कार विजेता व्यक्ति/स्वैच्छिक संस्था को ५०,००० रुपए का नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाणपत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार का समग्र संचालन गुजरात के प्रतिष्ठित कर्मशीलों की एक पुरस्कार निर्णायक समिति तथा 'डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर' द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। पुरस्कार के लिए उचित उम्मीदवार के चयन के लिए विभिन्न माध्यमों द्वारा तथा ग्राम विकास क्षेत्र में प्रवृत्त व्यक्तियों व संस्थाओं की ओर से नामांकन आमंत्रित किया जाता है। उत्कृष्ट काम करने वाले व्यक्ति या संस्थाएं अपने लिए स्वयं नामांकन पत्र भेज सकते हैं। इन नामांकनों के आधार पर निर्णायक समिति एक सूची बनाती है, जिनकी मुलाकात समिति द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि स्वयं मुलाकात लेते हैं। चुनिंदा उम्मीदवारों की स्वयं जांच करने के बाद तैयार रिपोर्ट के आधार पर निर्णायक समिति पुरस्कार विजेता का चयन करती है।

(२) ग्राम विकास पुरस्कार

इस वर्ष वित्तीय समिति ने पुरस्कार के अलावा ग्राम विकास क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले व्यक्ति को ग्राम विकास फेलोशिप देने का भी प्रस्ताव किया है। इस फेलोशिप के अंतर्गत चयनित व्यक्ति को उनकी सेवाओं के सम्मान रूप तथा उन्हें अधिक बेहतर काम के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए २० हजार रुपए की फेलोशिप दी जाएगी। फेलोशिप के अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग ग्राम विकास क्षेत्र में विशिष्ट सज्जता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण, शैक्षणिक यात्रा, साहित्य या साधन की खरीदी आदि में हो सकेगा।

(३) ग्राम संगठन पुरस्कार

ग्राम संगठन पुरस्कार के लिए स्वैच्छिक संस्था, सरकारी विभागों व अन्य स्रोतों द्वारा नामांकन मांगे जाते हैं। नियत मानदंडों के आधार पर इन नामांकन से एक संक्षिप्त सूची तैयार की जाएगी। संक्षिप्त सूची में चयनित संगठनों का ग्राम संगठन आधारित विकास क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं आगाखां ग्रामीण सहायता कार्यक्रम (भारत), एन. एम. सद्गुरु वॉटर एण्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन तथा डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर (डीएससी) के ग्राम संगठन के अनुभवी प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से स्थल मुलाकात तथा परामर्श द्वारा योग्य आकलन किया जाएगा। इन तीन संस्थाओं से बने ग्राम संगठन इस पुरस्कार के लिए उम्मीदवारी नहीं करेंगे। इस मूल्यांकन के आधार पर ग्राम विकास पुरस्कार चयन समिति द्वारा पुरस्कार प्राप्त संगठनों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी। बाद में चयनित संगठन को यह पुरस्कार ग्राम विकास पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के दौरान दिया जाएगा।

विकास व नूतन समर्थक कोष

लोक विकास के लिए जूझते लोक संगठनों के लिए आमतौर पर ऐसी छवि होती है कि उनका अस्तित्व केवल अनुदानों पर ही आधारित है, परंतु हकीकत इस छवि से बिल्कुल भिन्न है। अधिकांश लोक संगठन उन्हें प्राप्त ऋण समय पर लौटाते हैं, ऐसा सर्वमान्य अनुभव रहा है। लोगों के संगठनों को हमेशा मात्र अनुदान की ही जरूरत नहीं होती, परंतु उन्हें ऋण की आवश्यकता होती है, जिससे ये संगठन उचित मात्रा में उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

समय और शक्ति खर्चने के बावजूद भी कभी-कभी लोक संगठनों को कुछ नया करने के लिए वित्तीय सहारा या ऋण नहीं मिलता। लोक संगठनों की प्रवृत्तियों को सतत व्यस्त रखने व वे अपनी तरह से विकास के नए तरीके विकसित करें, इस उद्देश्य से श्री अनिल शाह और उनकी पत्नी श्रीमती इंदूबेन शाह ने एक विशिष्ट विकास और नूतन समर्थक कोष गठित करने के इरादे से योगदान दिया है। इस कोष का उद्देश्य ग्रामीण स्तर के संगठनों को कुछ नया कर दिखाने में आर्थिक मदद करना है। हाल में विकास क्षेत्र में व मौजूदा लागू योजनाओं में संगठनों के लिए नया करने की गुंजाइश नहीं है। आर्थिक मदद या प्रेरणादायी प्रोत्साहन भी नहीं मिलता। नए कार्यों के लिए लोक संगठनों को प्रेरणादायी प्रोत्साहन व समय पर आर्थिक समर्थन देना महत्वपूर्ण है। इस कोष से सहायता या ऋण या ब्याज में मदद दी जा सके, जिससे ग्राम संगठन कुछ उपयोगी कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे।

कोष देने का भौगोलिक क्षेत्र : गुजरात राज्य के सभी जिले।

किन कार्यक्रमों को कोष का लाभ मिल सकता है : प्राकृतिक संसाधनों (मुख्यतः जल व जमीन विकास) के विकास से आर्थिक समृद्धि, जोखिम के खिलाफ रक्षण, खर्च में कमी, महिला एवं कमजोर परिवार की आर्थिक समस्याओं का निवारण।

कोष में इन कार्यों को शामिल किया जा सकता है : (अ) ग्राम संगठन/संघ कुछ नया करना चाहते हों। (ब) संगठन अन्य प्रदेश-क्षेत्र से सफल उदाहरणरूपी कार्य देख आए हों और उनके क्षेत्र में पहली बार लागू करना चाहते हों। (क) संगठन के सदस्यों को किसी योजना से मंजूर हुए तत्काल लाभदायी विकास कार्यों जिनमें अनुदान मिलने में विलम्ब होता हो। यह काम संगठन ऋण द्वारा करते हों, तो उस परिस्थिति में संगठन को ऋण पर ब्याज में सहायता के रूप में। (ड) संगठन अपने सदस्यों की मार्फत चल कोष से कुछ नूतन काम शुरू करना चाहते हों, आदि।

कोष का लाभ किसे : ग्राम स्तर के संगठन (सामान्य रूप से रजिस्टर्ड संगठन), समूह संगठन व ग्राम संगठनों के संघ (इस कोष के लाभार्थी के रूप में पंचायती राज की संस्थाओं का समावेश नहीं है)।

सहायता का प्रकार : ग्रांट व ऋण (मर्यादित ब्याज के साथ)। संगठन बैंक से ऋण प्राप्त करे, उसमें ब्याज की रकम, संगठन को नमूना रूप कार्य में अंतरिम वित्तीय सहायता ऋण स्वरूप और अन्य रूप में रकम।

अनुदान व ऋण सहायता के अलावा ग्राम संगठन को अपने कोष का उपयोग करना होगा। जनकोष का स्तर हाल में चर्चाधीन है।

सहायता सीमा : कोई नियम नहीं है, परंतु साधारणतः संगठन को ऋण के लिए ५० हजार और अनुदान के लिए २५ हजार।

गैर-सरकारी संगठन या ट्रस्ट को आवास क्षेत्र में से काम करने की अनुमति

जमीन के उपयोग के नियम के उल्लंघन के लिए नं. २, पूर्वी मार्ग, वसंत विहार में काम करने वाली यू.एस. एड के विपत्ति संचालन समर्थन परियोजना कार्यालय को उस आवास स्थल से काम करने के कारण दिल्ली महानगर पालिका ने सील कर दिया था। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की देखरेख समिति को यह मामला सौंपा गया था। इस देखरेख समिति ने दो अवलोकन पेश किए हैं:

(१) गैर-सरकारी संगठनों या किसी भी ट्रस्ट को आवास क्षेत्रों में से काम करने की अनुमति दी जाती है। यह संगठन या ट्रस्ट भारत में या भारत के बाहर पंजीकृत हुआ हो सकता है।

(२) जो संगठन या ट्रस्ट पंजीकृत नहीं है उसे मंजूरी के लिए देखरेख समिति को भेजा जाएगा। दिल्ली महानगर पालिका के निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता द्वारा दि. २०.०९.२००६ को नं. १५०/ईई(बी)एचक्यू/२००६ द्वारा इस आशय का आदेश दिया गया है।

उन्होंने इस आदेश की प्रति आयुक्त के सचिव, तमाम ऊपर आयुक्तों, मुख्य नगर नियोजक और मुख्य कानूनी अधिकारी को भी भेजी है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें : श्री दलसुख वघासिया, सदस्य सचिव, विकास व नूतन समर्थक कोष समिति, डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर, गवर्नमेंट स्कूल के पास, बोपल, अहमदाबाद-३८० ०५८. फोन : ०२७१७-२३५९९४, २३५९९५, फैक्स : ०२७१७-२३५९९७, ई-मेलःdsc@dscindia.org

भावी कार्यक्रम

बाल अधिकार यात्रा

बालकों के अधिकारों व खासकर ६ वर्ष की आयु तक के बच्चों के अधिकारों पर ध्यान केन्द्रित करके गैर-सरकारी संगठनों, सभ्य समाज तथा मजदूर मंडलों का यह संयुक्त अभियान १४ से २१ नवंबर २००६ के दौरान चलाया जाएगा। अप्रैल २००६ में हैदराबाद में आयोजित बाल खाद्य अधिकार सम्मेलन में तय गतिविधियों के आधार पर देश के विविध संगठनों द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

लोगों में बाल अधिकारों को लेकर जागृति लाने के लिए यह यात्रा निकाली जानी है। दिल्ली महानगर के प्रत्येक क्षेत्र में यह यात्रा घूमेगी। आईसीडीएस (समन्वित बाल विकास योजना) के बारे में जागृति फैलाने के लिए इस यात्रा के दौरान नुक्कड़ नाटक होंगे और छोटी-छोटी जन सभाएं भी होंगी। अंतिम दिन यानी २१ नवंबर को जंतर-मंतर पर जन सभा होगी। इस अवसर पर २१ नवंबर को समग्र देश में आंगनबाड़ी दिवस आयोजित करने का भी निश्चय किया गया है।

उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में इसके लिए जोरशोर से तैयारियां चल रही हैं। उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, असम, राजस्थान व तमिलनाडु राज्यों में भी इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां हो रही हैं।

गुजरात में खाद्य सुरक्षा अधिकार अभियान द्वारा १३ जिलों में प्रत्येक जिले में २२ से २५ गांवों में आंगनबाड़ी दिवस मनाने का निर्णय किया गया है। प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय बैठक आयोजित होगी और इस बैठक की सिफारिशें कलक्टर तथा स्वास्थ्य अधिकारी को दी जाएंगी। राजस्थान एक्शन एड की सहभागी संस्थाओं द्वारा समन्वित बाल विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए कुछ क्षेत्रों में एक त्वरित अध्ययन किया जाएगा और आंगनबाड़ी दिवस पर उससे सम्बद्ध समस्याओं के बारे में जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। इस बारे में विचार चल रहा है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें : सुश्री हेमा, मोबाइल फ्रेंचिज, डीआईजेड एरिया, सेक्टर-४, राजा बाजार, नई दिल्ली. फोन नं. ९९११०-४५०६८

पृष्ठ 15 का शेष भाग

जन्म देते हैं। ये ख्याल कई समस्याओं को शामिल कर लेते हैं और वे एक बड़े संघर्ष में बदल जाती हैं। इस संदर्भ में जो कार्य 'ऊर्जा घर' द्वारा शुरू किया गया उसके पांच मुद्दे इसके साथ दिए चित्र में दर्शाए गए हैं। ऐसे लोगों को पहचानना जो चाहते हैं कि ये फर्क संघर्ष को जन्म नहीं दें, और उनके बीच के सम्बंधों को विकसित करने का काम 'ऊर्जा घर' द्वारा किया गया है और अब और अधिक करने की जरूरत है। समुदायों के बीच सौहार्द्र बनाने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए तैयार लोगों के बीच के सम्बंधों को मजबूत बनाना जरूरी है।

समुदाय स्तर का प्रयास

'ऊर्जा घर' की विविध प्रवृत्तियों द्वारा पहचान, पूर्वाग्रह और जमी हुई मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास किया गया है। कई लोगों ने कहा कि वे 'ऊर्जा घर' के कारण यह समझे हैं कि अन्य समुदायों के बारे में मान्यताएं और पूर्वाग्रह निरर्थक हैं। इनमें से कई बच्चे और किशोर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि परस्पर मिलने-जुलने और घरों की मुलाकात लेने से उनकी कई धारणाएं टूट गईं। यद्यपि जीवंत बहुवादी समाज और समुदायों के बीच के सामान्य सम्बंधों के लिए यह जरूरी है कि उनके बीच अविश्वास और संदेह न हो। यह उसकी प्राथमिक शर्त है। 'ऊर्जा घर' वास्तव में समुदाय स्तर पर शांति कायम करने का प्रयास है और बहुवादी समाज में यही एक विकल्प है।

पिछले तीन महीनों के दौरान 'उन्नति' द्वारा निम्नानुसार गतिविधियां की गईं :

१. सामाजिक समावेश व सक्षमता

दलित अधिकार

राजस्थान में 'दलित अधिकार अभियान' की समीक्षा व आयोजन बैठक दो दिन के लिए हुई। इसका उद्देश्य हितधारकों की अधिक सहभागिता को बढ़ावा देने की गुंजाइश की तलाश करना और अभियान का योग्य ढांचा विकसित करना था, जिससे तमाम स्तर पर नीचे से ऊपर तक आयोजन हो और पारदर्शिता आए। इस संदर्भ में प्रशासनिक समर्थन देने के लिए केन्द्रीय समन्वय समिति का गठन किया गया। हाल में इस अभियान द्वारा जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर इन तीन जिलों में १२ दलित संदर्भ केन्द्र चलाए जा रहे हैं। पिछले तीन माह के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव के तीन मामले, अत्याचार के तीन और भूमि अतिक्रमण के दो मामलों में समर्थन दिया गया है। अत्याचारों के मामलों में महिलाओं के प्रति हिंसा का एक मामला भी आया है। बाड़मेर जिले में जल सुरक्षा कार्यक्रम की गतिविधियों का तीसरा चरण अगस्त २००६ में शुरू हुआ। इसमें जोधपुर जिले के बाड़मेर व शेरगढ़ तालूकों के ४ गांवों का समावेश शेरगढ़ तालूका के ३ गांवों के अलावा किया गया है। इन गांवों की जनसंख्या सम्बंधी जानकारी एकत्र की गई है।

बाड़मेर में बाढ़ की स्थिति के प्रति प्रतिभाव

बाड़मेर जिले में अगस्त में मात्र तीन दिन में ५७७ मि. मी. वर्षा हुई जहां औसत वार्षिक वर्षा मात्र १५५ मि.मी. होती है। इसके अलावा जैसलमेर जिले का पानी भी बह कर इस जिले में आया और अधिक वर्षा के कारण पानी का स्तर १५ से २५ फिट हो गया। यह पानी मालवा, कवास तथा भटाटा गांवों में जमा हो गया और अनेक लोग उसमें डूब गए। सरकारी आंकड़ा २००० जनों की मृत्यु दर्शाता है, जबकि स्थानीय अनुमान इसे १००० तक बताते हैं। लगभग १२०० कि. मी. के रास्ते राजमार्ग सहित धुल गए हैं। लगभग ३००० परिवारों ने अपने घर गंवाए हैं। ४३ करोड़ की फसल का नुकसान हुआ है। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भेड़-बकरी, ऊंट, गाय, भैंस आदि के पालन पर आधारित है, परंतु अनुमान है कि लगभग ५० हजार पशु बाढ़ में मारे गए हैं। अधिकांश पशु तब नष्ट हुए, जब बाढ़ आई और वे खूंटे से बंधे हुए थे। सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार लोग बुखार, मलेरिया, निमोनिया और दस्त-उल्टी जैसे रोगों से पीड़ित हैं। पानी का प्रदूषण बढ़ने व पर्यावरण बिगड़ने से यह स्थिति पैदा हुई। आपदा के बाद तुरंत ही आपदाग्रस्तों की जरूरतों के आकलन के लिए दो सहभागी संस्थाओं की संयुक्त टीम इस क्षेत्र में सर्वे के लिए गई। उन्होंने कवास व मालवा गांवों तथा शिव, बाड़मेर और बैतू तालूकों के दस गांवों का दौरा किया और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों के साथ राहत विभाजन का समन्वय किया गया। हाल में २ टुकड़ियां स्थानीय परिस्थितियों में राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया पर निगरानी रख रही हैं।

विपत्ति के प्रतिकार की तैयारी

गुजरात में १९ से २२ जुलाई २००६ के दौरान संस्था के कार्यकर्ताओं व कच्छ की सहभागी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के लिए समुदाय आधारित आपत्ति के प्रतिकार की तैयारी विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें ८ गैर सरकारी संगठनों के २४ सहभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला में दिल्ली की 'लाइवलीहुड सॉल्युशन' नामक संस्था के श्री गिरीश भारद्वाज भी उपस्थित रहे। इसके संदर्भ में लाखारा वांढ के लिए विपत्ति के प्रतिकार की समुदाय आधारित तैयारी की योजना बनाई गई। महिला समूहों के लिए 'बीमा सेवा' के सहयोग से बीमा सम्बंधी अभिमुखता कार्यशाला आयोजित की गई। महिलाओं को जोखिम घटाने के लिए तैयार होने के प्रति संवेदनशील बनाया गया क्योंकि वे भूकम्प संभावित क्षेत्र में रहती हैं। वे बीमा योजना में पंजीकृत हुईं। इस तीन माह के दौरान हम ग्रामीण महिला कारीगरों की एम्ब्रॉइडरी कुशलता को बढ़ावा देने के लिए विविध संगठनों के साथ सम्बंध स्थापित कर सके। इसमें बाड़मेर की 'मलनी इम्पेक्स', अहमदाबाद में 'भुजोडी', गांधीनगर की 'ग्रीमको' और बेंगलूर की 'डिजाइन कोर' संस्थाएं शामिल हैं। महिला कारीगरों को

रोजगार देने व थोकबंद ऑर्डर दिलान के लिए उन्हें डिजाइन के नमूने दिए गए।

२. नागरिक नेतृत्व और शासन

ग्रामीण शासन

गुजरात में अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा अहमदाबाद जिले के ८ तालुकों की तालुका पंचायत और जिला पंचायत में नव-निर्वाचत ७० प्रतिनिधियों को पंचायत अधिनियम के बारे में, निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों व भूमिका के बारे में, विविध स्तर की पंचायत के कार्यों के बारे में और पंचायतों की समितियों तथा उनके रोजमर्रा के कामकाज के प्रावधानों के बारे में अभिमुख किया गया। अहमदाबाद एवं साबरकांठा जिलों के ८ तालूकों की ८० ग्राम पंचायतों के नागरिक नेताओं को राज्य सरकार द्वारा बी. पी. एल. सूची के बारे में की गई प्रक्रिया को लेकर अभिमुख किया गया। उन्होंने बाद में निर्वाचित प्रतिनिधियों के तालुका स्तर के समूहों को अभिमुख किया। चौपाल बैठकें आयोजित कर इस सूची की चर्चा की गई और नई सूची में गरीब परिवारों के नाम शामिल करवाने के लिए अरजी करने पर विचार किया गया। नागरिक नेताओं ने उनकी पंचायतों के क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने माता-पिता के साथ परामर्श किया और ग्राम शिक्षा समिति को सक्रिय बनाने का प्रयास किया।

अहमदाबाद एवं साबरकांठा जिलों की ४० पंचायतों के नागरिक नेताओं व निर्वाचित प्रतिनिधियों को सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के बारे में तथा उस अधिनियम के तहत की जाने वाली अरजियों के बारे में अभिमुख किया गया। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत फाइलों पर की जाने वाली टिप्पणी भी उपलब्ध हो और इस बारे में प्रावधान रद्द न हो, इसके लिए चल रही हिमायत की राज्य स्तरीय प्रक्रिया में हम सक्रिय भागीदार हैं। ग्राम पंचायत की सामाजिक न्याय समितियों व सभ्य समाज के संगठनों के तालूका स्तर के समूहों के सदस्यों के लिए एक जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा होता था उनका समावेश किया गया। इस कार्यशाला में ३२ सहभागियों ने भाग लिया और उन्होंने उनके कार्य, उद्देश्य तथा भावी भूमिका के बारे में चिंतन-मनन किया। एस.आई.आर.डी. के सहयोग से पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था व सुशासन के बारे में पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए दो दिवसीय सैटकॉम तालीम आयोजित की गई। इसमें डी.आर.डी.ए. तथा तालूका पंचायत के विस्तार अधिकारी व ग्राम सेवक जैसे ५१ सरकारी कर्मचारी उपस्थित थे। उनके साथ स्थल पर तथा स्टूडियो में बैठकें की गईं। वे अपने यहां के केन्द्र के आयोजक भी थे। शैक्षणिक सामग्री, दस्तावेज व संक्षिप्त फिल्में इन सहभागियों के लिए विशेष तैयार की गईं। दिसम्बर २००६ में आसन्न ग्राम पंचायतों के चुनावों के लिए चुनाव पूर्व की मतदाता जागृति जुंबिश का आयोजन करने के लिए एक सभा बुलाई गई। इसमें ३३ संगठनों के ५१ प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय समूह का भी गठन किया गया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त भी इसमें हाजिर थे और उन्होंने राज्य चुनाव आयोग व सभ्य समाज के बीच के सम्बंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। इस तीन माह के दौरान इस जागृति जुंबिश सम्बंधी शैक्षणिक सामग्री तैयार की गई है।

राजस्थान में भारत सरकार के आदेशानुसार ११वीं पंचवर्षीय योजना को ग्राम सभा द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए, जिससे स्थानीय स्तर पर सहभागिता पैदा हो। इस संदर्भ में सितम्बर २००६ के दौरान राज्य भर में ग्रामसभाओं का आयोजन किया गया। योग्य चर्चा के बाद ग्राम सभा द्वारा विस्तृत पत्रक भरा जाए, यह ध्यान रखा गया। इस संदर्भ में गत वर्ष लघु स्तरीय योजनाएं तैयार करने के लिए एक तालीम आयोजित की गई। इसमें प्रत्येक तालूका की दो महिला सरपंच उपस्थित रहीं। इसके बाद वार्डवार लघु स्तरीय योजनाएं तैयार की गईं। ग्यारहवीं योजना का अंतिम दस्तावेज तैयार करने में ये योजनाएं काफी उपयोगी साबित हुईं। अगस्त-सितम्बर २००६ के दौरान जोधपुर जिले के ९ तालूकों में तालूका मुख्यालय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण पंचायतों की स्थायी समिति के लिए आयोजित किया गया। उसका इरादा यह था कि स्थायी समिति के सदस्य समिति के कार्यों व दायित्वों, अधिकारों, नियमों, नियमनों, लाभों, जरूरतों आदि को समझें।

राज्य सरकार द्वारा कानून के अनुसार आयोजित की जाने वाली बैठकों के बारे में जो परिपत्र जारी किया जाता है, उसके बारे में तथा पंचायतों को दिए गए कार्यों से सम्बंधित प्रवृत्तियों के बारे में और स्थायी समिति द्वारा उनकी होने वाली समीक्षा के बारे में उन्हें जानकारी दी गई। संदर्भ समूहों के सदस्यों यानी पंचायत संदर्भ केन्द्र के कार्यकर्ताओं व सक्रिय नागरिकों को इन समितियों को सक्रिय बनाने के बारे में जानकारी दी गई। महिला पंचायत सदस्यों के क्षमतावर्धन के लिए ८ पंचायत संदर्भ केन्द्र तालूका स्तर पर काम कर रहे हैं। हर गुरुवार को १५ मिनट का एक साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम प्रसारित होता है तथा इसके बाद फोन हैल्पलाइन भी चलाई जाती है। इन कार्यक्रमों में महिला सरपंचों व पंचों की सफलता की कहानियां स्थानीय बोलियों में पेश की जाती हैं।

शहरी शासन

गुजरात में ईडर, मोडासा, बावळा नगरों में ठोस कचरा संचालन की योजनाएं तैयार की गई हैं और सम्बद्ध नगर पालिकाओं को सौंपी गई हैं। इस विषय पर व्यापक जागृति लाने के लिए एक एनिमेशन फिल्म भी तैयार की गई है। ठोस कचरा संचालन योजना का अमल करने के लिए मोडासा नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों, नागरिक नेताओं व गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों की एक विमर्श सभा भी की गई। इसके बाद नगर पालिका ने शहर के तमाम वार्ड में दो प्रकार की कचरा पेटियां रखने का निर्णय किया है और ठोस कचरा संचालन योजना की एक प्रति उसने गुजरात शहरी विकास निगम को मंजूरी के लिए तथा संसाधन सामग्री की आपूर्ति के लिए भेजी है। ईडर नगर पालिका ने कचरापेटियों व हाथ-लारियों को खरीदने का ऑर्डर दिया है। नगर के निवासी समूह और कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसायटी साथ मिल कर ठोस कचरा के एकत्रीकरण पर नजर रख रहे हैं तथा नागरिक अलग-अलग टोकरियों में कचरा एकत्र कर रहे हैं। नवरात्रि उत्सव के दौरान इस नगर पालिका द्वारा जागृति अभियान चलाया जाएगा।

साबरकांठा जिले के ४ नगरों में झोंपड़पट्टी वासियों नागरिकों की आर्थिक प्रवृत्तियों व उनके योगदान के बारे में एक अध्ययन किया गया। उसका इरादा उन्हें जमीन व आवास का अधिकार दिलाना था। इन नगर पालिकाओं ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजनाओं की स्थिति रिपोर्ट तैयार की है। साबरकांठा की छः व अहमदाबाद जिले की दो नगर पालिकाओं में पीने के पानी व सफाई सेवाओं की प्राप्ति की देखरेख का काम नागरिक स्वयं कर रहे हैं। राजकोट में शासन में सुधार की प्रक्रिया तथा अमल के बारे में दो दिन की कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें राजकोट, सुरेन्द्रनगर तथा जामनगर जिलों की १४ नगर पालिकाओं के ३९ सहभागी उपस्थित थे। इसमें कुछ अध्यक्ष, मुख्य अधिकारी, इंजीनियर समेत राजकोट के क्षेत्रीय नगर पालिका निदेशक भी मौजूद थे। गुजरात में पांच नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का एक अध्ययन राष्ट्रीय अध्ययन के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें आय तथा खर्च के तरीके, आय स्रोत स्थापित करने के अवसरों व स्रोतों के बारे में अध्ययन किया जाएगा तथा अधिक अच्छे राजकोषीय संचालन के सुझाव दिए जाएंगे। राजकोषीय प्रक्रिया में नागरिक किस तरह सहभागी हो सकते हैं, इसकी जांच की जाएगी। वेरावळ नगर की विकास योजना संशोधित की जा रही है तब झोंपड़पट्टी की समस्याएं पहचानने, बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति तथा असहाय समुदायों की स्थिति की जांच के लिए एक अध्ययन किया गया है। अंतिम योजना में उसका समावेश किया जाएगा। खेड़ब्रह्मा नगर की कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसायटी के सदस्यों, नगर पालिका के अधिकारियों व निर्वाचित सदस्यों के क्षमतावर्धन के लिए केरल के राज्य गरीबी निवारण मिशन की कदम्बश्री योजना देखने का एक शैक्षणिक प्रवास भी आयोजित किया गया।

राजस्थान के जोधपुर में जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान मिशन के बारे में एक विमर्श सभा की गई। इसमें नगर सेवकों, सभ्य समाज के विविध समूहों के प्रतिनिधियों तथा निवासियों के कल्याण मंडलों के सदस्यों सहित ४० सहभागियों ने भाग लिया। स्थानीय स्वशासन विभाग तथा 'प्रिया' द्वारा जो राज्य स्तरीय विमर्श सभा हुई, उसमें इन चर्चाओं के निष्कर्ष बताए गए। जोधपुर नगर के लिए शहरी संदर्भ केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत कुछ क्षेत्रों का प्राथमिक क्षेत्रों का प्राथमिक सर्वे भी एक टुकड़ी द्वारा

किया गया है। विशेषकर झोंपड़पट्टी क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और बुनियादी सेवाओं के क्षेत्र में हस्तक्षेप हो सके, जो उसका उद्देश्य है। इसके अलावा नगर के संसाधनों का नक्शा तैयार किया गया है और नगर के आयोजन की प्रक्रिया पूरी की गई है। राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों के लिए विकेन्द्रित आयोजन को बढ़ावा देने का आयोजन कर रही है, तब इस टुकड़ी के सदस्यों ने जयपुर में 'राजस्थान स्थानीय स्वशासन संस्थान' द्वारा आयोजित किए गए विकेन्द्रित आयोजन के बारे में एक प्रशिक्षकों की तालीम कार्यक्रम में भाग लिया।

पृष्ठ 1 का शेष भाग

कौमी ध्रुवीकरण के माहौल में इस जनसंहार का शिकार बनने वालों को न्याय के लिए राहत तथा पुनर्वास जैसे पुराने खयालों के बदले मानवाधिकारों के आधुनिक मानदंडों के बारे में विचार करना जरूरी है। इस मुद्दे को कृपा दृष्टि से देखने की बजाए राज्य की जिम्मेदारी व पीड़ितों के अधिकार के संदर्भ में देखना होगा। अंततः इस प्रकार की स्थिति संवैधानिक जिम्मेदारियां अदा करने की राज्य की विफलता का ही विनाशक परिणाम होता है। इसीलिए हमें जोड़ने की प्रक्रिया का विचार करना पड़ेगा।

जुड़ाव कार्य की प्रक्रिया चार मुख्य स्तंभों पर आधारित है:

१. पुनर्स्थापनः पीड़ितों को हिंसा पूर्व की स्थिति तथा परिस्थितियों में पुनः स्थापित करना।

२. मुआवजाः निर्धारणीय भौतिक, मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नुकसान का मुआवजा देना।

३. पुनर्वासः डॉक्टरी, मनोवैज्ञानिक, कानूनी तथा सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था तथा आजीविका के नए साधन विकसित करने की व्यवस्था करना।

४. संतोषः पीड़ितों के साथ पुनः सम्बंध स्थापित करना, उनमें विश्वास पैदा करना, महत्वपूर्ण और कठिन कार्य है। इसके लिए जो कुछ हुआ है, उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकारना, पछतावा व्यक्त करना और फिर से ऐसा न हो, इसका आश्वासन पीड़ितों को देना जरूरी है। इसके बिना पुनर्शांति तथा शांति स्थापना संभव ही नहीं है।

वैसे तो यह प्रक्रिया राज्य व सभ्य समाज दोनों की जिम्मेदारी का हिस्सा है। फिर भी, हम जहां हैं, वहां छोटे पैमाने पर भी यह प्रक्रिया शुरू कर सकें तो भविष्य में विकास कार्यों के परिणाम फलीफूत होते देख सकेंगे।

- सुश्री सोफिया खान, सोशल एक्शन फोरम अगेंस्ट रिप्रेशन (सफर), अहमदाबाद.

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: psu_unnati@unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

जी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर-342 003 राजस्थान

फोनः 0291-2642185, फैक्सः 0291-2643248 email: unnati@datainfosys.net

डिज़ाइनः रमेश पटेल, उन्नति **गुजराती से अनुवादः** पुष्पा शाही

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद. फोन नं. 079-66612967

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।

हर हाथों को काम मिले इस आशा के साथ, रोज़गार अधिकार यात्रा के अवसर पर...

हाथों को काम...

इन्साँ पैरों पर खड़े हुये, दो हाथ तभी आज़ाद हुये,
इन हाथों की मेहनत से, धीरे धीरे आबाद हुए।

इन हाथों ने फल तोडे थे, इन से ही गुफ़ा में घर बने,
फिर पत्थर के औज़ार बने और लोहे के हथियार बने।

हाथों ने फसलें बोई थीं, हाथों से चूल्हे आग बने,
लाखों सालों की मेहनत से, कितने सुंदर ये हाथ बने।

बिथोवन का संगीत बना, विन्सी जैसे फ़नकार बने,
बुल्लेशाहों की कलम चली सूफ़ी संतो के दोहे बने,
पर हाथ यही अब खाली हैं,
क्योंकि इनको कोई काम नहीं।

हल चला के खेतों को, मैंने ही सजाया रे,
गेहूँ, चावल, मक्के के, दानों को उगाया रे,
चूल्हा भी बनाया मैंने, धान भी पकाया रे,
रहूँ क्यों भूखे पेट रे? कि मेरे लिये काम नहीं...

मिट्टी की खुदाई की, भट्टी को जलाया रे,
ईंटों को पकाया रे, बंगला बनाया रे,
संसद का हरेक खंभा, मैंने ही उठाया रे,
सोऊँ क्यों फुटपाथ पे, कि मेरे लिये काम नहीं...

धागे को बनाया मैंने, मिलों को चलाया रे,
तानाबाना जोड़ के, कपड़ा बनाया रे,
सपनों के रंगों से, उनको सजाया रे,
मुझे कफ़न नहीं रे, कि मेरे लिये काम नहीं...

रेल को बनाया रे, सड़कों को बिछाया रे,
हवा में उड़ाया रे, चँदा से मिलाया रे,
नाव को बनाया मैंने, पानी पे चलाया रे,
मेरी ना ज़िंदगी चले, कि मेरे लिये काम नहीं...

शाहजहाँ के ताज को, मैंने ही बनाया रे,
मंदिरों को, मस्जिदों को मैंने ही सजाया रे,
बाँसूरी, सितार को, मादल को बजाया रे,
मेरा संगीत कहाँ रे, कि मेरे लिये काम नहीं...

सपनें सजायेंगे, ज़िदगी बनायेंगे,
ऊँगलियों को मोड के, हाथों को ऊठायेंगे,
आसमाँ को छूएँगे, ज़िंदाबाद गायेंगे,
गायेंगे तब तक रे, कि जब तक काम नहीं...
लड़ेंगे तब तक रे, कि जब तक काम नहीं...

- विनय-चारूल

जानने का हक़

मेरे सपनों को जानने का हक़ रे...
क्यूं सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं

मेरे हाथों को ये जानने का हक़ रे...
क्यूं बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं

मेरे पैरों को ये जानने का हक़ रे...
क्यूं गाँव गाँव चलना पडे रे, क्यू बस का निशान नहीं

मेरी भूख को ये जानने का हक़ रे...
क्यूं गोदामों मे सड़ते है दाने, मुझे मुट्ठी भर धान नहीं

मेरी बूढ़ी माँ को जानने का हक़ रे...
क्यूं गोली नहीं सुई, दवाखाने, पट्टी-टांके का सामान नहीं

मेरे बच्चों को ये जानने का हक़ रे...
क्यूं रात दिन करें मजदूरी, क्यूं शाला मेरे गाँव नहीं।

मेरे खेतों को ये जानने का हक़ रे...
क्यूं बांध बने रे बड़ बड़, क्यूं फसलों में जान नहीं

मेरी नदियों को जानने का हक़ रे...
क्यूं ज़हर मिलायें कारखाने, जैसे नदियों में जान नहीं

मेरे जंगलों को जानने का हक़ रे...
कहाँ डालियां वो पत्ते, तने, मिट्टी, क्यूं झरनों का नाम नहीं

मेरे गाँव को ये जानने का हक़ रे...
क्यूं बिजली ना, सड़के ना पानी, खुशी राशन की दुकान नहीं

मेरी बस्तियों को जानने का हक़ रे...
क्यूं बसे हुये घर को उजाड़े, रहे नामोनिशान नहीं

मेरे वोटों को ये जानने का हक़ रे...
क्यूं एक दिन बड़ बड़े वादे, फिर पांच साल काम नहीं

मेरे राम को ये जानने का हक़ रे...
रहमान को ये जानने का हक़ रे...
क्यूं ख़ून बहे सड़कों पे, क्या सब इन्सान नहीं

- *विनय महाजन*

स्रोतः लोकनाद, एक्सप्रेशन फॉरम ऑफ अभिगम कलेक्टिव, 2, गार्गी एपार्टमेन्ट, नेहरु पार्क, वस्त्रापुर, अहमदाबाद 380 015.
फोनः 079-26753663, ई-मेलः abhigam@icenet.net